मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21

मंत्री	–	श्री भूपेन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव	–	श्री नीतेश व्यास
प्रमुख सचिव	–	श्री मनीष सिंह
सचिव	–	श्री अजय सिंह गंगवार
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	–	श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव
आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश	–	श्री अजीत कुमार
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल	–	श्री भरत यादव
वित्तीय सलाहकार	–	डॉ. सुषमा दुबे
उप सचिव	–	श्री शुभाशीष बनर्जी
उप सचिव	–	श्री अमिताभ अवस्थी

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का वर्ष 2020–21 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(नीतेश व्यास)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21
–: विषय सूची :–

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	
7.	राजधानी परियोजना प्रशासन	
8.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	
9.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	
10.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	
11.	परिशिष्ट	

विभागीय संरचना

1. नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव के अधीन एक सचिव, दो उप सचिव, एक अवर सचिव तथा एक वित्तीय सलाहकार पदस्थ हैं।

2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
(3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
(4) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
(5) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
(6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
(14) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948
(15) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
(16) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
(17) मध्यप्रदेश नगर तथा परिक्रमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
(18) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
(19) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
(20) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
(21) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :—

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण

(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय

(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन

(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन

(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम

(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले

(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही

(12) UIDSSMT, IHSDP, DAY-NULM, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल/अधोसंरचना विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन

(15) स्वच्छ भारत मिशन

(16) म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन

(17) म.प्र. मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन

(18) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन

(19) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन

(20) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(21) शहरी अधोसंरचना

(22) शहरी गरीबों के लिये आवास

(23) शहरी पेयजल

(24) आग की रोकथाम

(25) शहरी सुधार कार्यक्रम

(26) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग

(27) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

(28) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण

(29) नगर विकास योजना तैयार करना

(30) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

(31) नगर तथा ग्राम निवेश

(32) वास्तुकला

(33) नगरीय विकास

(34) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय

(35) आवास स्थान को भाड़े या उप–भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।

(36) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन

(37) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

———

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग – एक

विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं शहडोल में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत गठित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

5. नगरीय स्थानीय निकाय

प्रदेश में कुल 407 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	99
3	नगर परिषद	292
	योग	407

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

————————

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 1059913.00 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक कुल रूपये 596716.00 लाख का व्यय किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से **योजना** मदों तथा **अनुदान** मदों में मदवार/ योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है।

3. विभागीय बजट में योजना मद के अन्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्य वित्त पोषित योजनाएं संचालित है ।

4. राज्य योजना की प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना तथा शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मास रेपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम सर्वे करने हेतु बजट रखा गया है।

5. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरूद्ध शासकीय अंश पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।

6. अनुदान मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार बेसिक ग्रांट एवं परफार्मेंस ग्रांट चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्री कर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

7. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय अंतर्गत राशि का उपयोग महत्वपूर्ण नगरीय अधोसंरचना परियोजनाओं जैसे मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि के क्रियान्वयन तथा ऐसी परियोजनाओं के शासन की गारंटी पर लिये गए ऋण का पुर्नभुगतान किया जाता है।

———————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1. स्मार्ट सिटी मिशन

1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन गाईडलाईन जारी की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिकों की जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।

1.2 भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के 16 नगर निगमों को प्रतिस्पर्धा हेतु आमंत्रित किया गया था तथा गाईडलाईन में जारी प्रावधान अनुसार 7 शहरों का चयन किया गया, जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना एवं सागर का चयन हुआ।

1.3 शहरों के लिये 100 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति शहर के मान से कुल 500 करोड़ रूपये तथा इतनी ही राशि राज्य शासन को मिलाये जाने का प्रावधान है।

1.4 स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एंव मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में दिये गये निर्देश के अनुसार स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (एसपीवी) का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक–नगर निगम के आयुक्त तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये हैं। एसपीवी के अर्न्तगत अन्य मनोनीत अधिकारियों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक, ई–गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी एवं अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है।

1.5 स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन सुनियोजित कार्ययोजना अन्तर्गत किया जा रहा है, योजना के अंतर्गत प्राप्त स्मार्ट सिटी फंड अनुदान राशि के कुल 216 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 1165.28 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, 147 प्रोजेक्ट्स के कार्यादेश जारी किये गये हैं एवं 36 प्रोजेक्ट्स लागत राशि रू. 689.97 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है। लगभग 67 प्रोजेक्ट्स अनुमानित लागत राशि रू. 1906.51 करोड़ के डीपीआर स्तर पर है।

1.6 सभी स्मार्ट सिटी शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा चुका है। कोविड–19 महामारी के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा महामारी की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित कार्य एवं समन्वय के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कॉल सेंटर के रूप में प्रभावशाली कार्य किया गया।

1.7 भारत सरकार द्वारा जारी सिटी स्मार्ट सिटी रैकिंग में भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान एवं इंदौर स्मार्ट सिटी को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है तथा देश में स्टेट स्मार्ट सिटी रैकिंग में मध्यप्रदेश राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरवार क्रियान्वित मुख्य परियोजनाओं का विवरण

1.8 भोपाल स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट रोड, बुलेवर्ड स्ट्रीट, स्मार्ट पोल एवं स्मार्ट एलईडी लाईट, शासकीय आवास का निर्माण, युवाओं के स्कील डेवलपमेंट हेतु स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर का निर्माण एवं क्रियान्वयन, पुरातत्व धरोहर संरक्षण (सदर मंजिल) आदि अंतर्गत 32 प्रोजेक्ट्स लागत राशि रू. 253.73 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 25 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 696.00 करोड़ के कार्य प्रचलन में है एवं 2 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 21.00 करोड़ की निविदा प्रक्रिया में है।

1.9 इंदौर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट रोड, पुरातत्व धरोहर संरक्षण गोपाल मंदिर, हरि राव होल्कर छत्री, राजवाड़ा, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट–चंद्रबाग ब्रिज से हरसिद्धि ब्रिज, जिन्सी हाट बाजार का पुर्नविकास, गारबेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य, शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर का निर्माण आदि अंतर्गत 111 परियोजनाओं लागत राशि रू. 449.28 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 30 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 540.72 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

1.10 जबलपुर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर, मल्टीलेवल पार्किंग, नॉन मोटेराइज्ड व्हीकल क्षेत्र का निर्माण, भंवर ताल गार्डन का पुर्नविकास, गुलउआ तालाब का विकास एवं म्युजिकल फाउटेन का निर्माण, धरोहर संरक्षण अंतर्गत कमानिया गेट एवं घंटाघर का कार्य आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट रानीताल लेक डेवलपमेंट आदि के कार्य प्रचलन में है। 31 परियोजनाओं लागत राशि रू. 233.90 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 32 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 456.60 करोड़ के कार्य प्रचलन में है एवं 5 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 53.82 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है।

1.11 ग्वालियर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, स्मार्ट क्लास रूम, शासकीय बिल्डिंग में सोलर रूफ टॉप, मल्टीलेवल पार्किंग, पुरातत्व धरोहर संरक्षण अंतर्गत मोतीमहल का रिस्टोरेशन आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 10 परियोजनाओं लागत राशि रू. 44.67 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 20 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 161.21 करोड़ के कार्य प्रचलन में है एवं 6 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 405.49 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है।

1.12 उज्जैन स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट, ओलपिक साईज स्वीमिंग पूल का निर्माण आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। महाकाल रूद्र सागर विकास परियोजना अंतर्गत महाकाल मंदिर के आस–पास के क्षेत्र का विकास, स्मार्ट रोड, सोलर रूफ टॉप, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 11 परियोजनाओं लागत राशि रू. 61.64 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है। 15 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 719.23 करोड़ के कार्य प्रचलन में है एवं 2 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 79.80 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है।

1.13 सागर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, जंक्शन चौराहों का विकास आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। लाखा बंजारा लेक का पुर्नविकास एवं लेक फ्रंट डेवलपमेंट, स्मार्ट रोड, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 12 परियोजनाओं लागत राशि रू. 67.48 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 09 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 248.38 करोड़ के कार्य प्रचलन में है एवं 13 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 62.95 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है।

1.14 सतना स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। लेक नेकटर विकास परियोजना, साइकिल ट्रेक, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में है। 10 परियोजनाओं लागत राशि रू. 67.80 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 16 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रू. 180.08 करोड़ के कार्य प्रचलन में है एवं 8 प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 66.91 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है।

2 अमृत मिशन

2.1 भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारम्भ किया गया है।

2.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वांचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

2.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सेवा स्तरीय बेंच मार्क को प्राप्त किया जाना है।

2.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, शहरी सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजना के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार है :–

2.5 जलापूर्ति

2.5.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

2.5.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली।

2.5.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

2.5.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्धार।

2.6 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

2.6.1 प्रत्येक परिवार को जल–मल निस्तारण के लिये सीवेज कनेक्शन सुलभ हो ।

2.6.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ।

2.6.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

2.6.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

2.6.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन एवं शोधन।

2.6.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

2.6.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे–ऊर्जा उत्पादन, सोलर सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके)।

2.7 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

2.7.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

2.7.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

2.7.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

2.8 वर्षा जल नालों का विकास

2.8.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

2.9 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

2.9.1 बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूल विशेष प्रावधानों के साथ हरित क्षेत्र एवं पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों का निर्माण एवं उन्नयन।

2.9.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।

2.9.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।

2.9.4 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

2.10.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास – 2022

3.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का शुभारंभ दिनांक 25/06/2015 को किया गया है, इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है। योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी है:–

- ✓ "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास (In-Situ Slum Redevelopment - ISSR)
- ✓ क्रैडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम् से किफायती आवास (Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS)
- ✓ भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership - AHP)
- ✓ लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Beneficiary Led Construction - BLC)

3.2 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है। योजनातंर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना है:–

- ✓ आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3,00,000 तक। (आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवार योजना के समस्त घटक का लाभ प्राप्त कर करने की पात्रता रखते है)
- ✓ निम्न आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 6,00,000 तक। (निम्न आय वर्ग के परिवार योजना के केवल CLSS घटक का लाभ प्राप्त कर करने की पात्रता रखते है)

✓ मध्यम आय वर्ग–1 के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 6,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 12,00,000 तक। (मध्यम आय वर्ग–1 के परिवार योजना के केवल CLSS घटक का लाभ प्राप्त कर करने की पात्रता रखते है)

✓ मध्यम आय वर्ग–2 के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 12,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 18,00,000 तक। (मध्यम आय वर्ग–2 के परिवार योजना के केवल CLSS घटक का लाभ प्राप्त कर करने की पात्रता रखते है)

3.3 योजनातंर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैः–

क्र.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	In-Situ Slum Redevelopment - ISSR with participation of private developers using land as a resource.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हितग्राहियों को राशि **रु. 1.00** लाख प्रति आवासीय इकाई	भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
2	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निमन आय वर्ग (LIG) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मध्यम आय वर्ग–1 (MIG-1) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 9.00 लाख तक के गृह ऋण पर 4.00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मध्यम आय वर्ग–2 (MIG-2) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 12.00 लाख तक के गृह ऋण पर 3.00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)	–	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग–1 (MIG-1) और मध्यम आय वर्ग–2 (MIG-2)
3	Affordable Housing in Partnership - AHP with Public & Private sectors.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	मलिन बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों के लिए राशि रु. 1. 50 लाख प्रति आवासीय इकाई एवं भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
4	Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction - BLC	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई एवं भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)

3.4 योजनातंर्गत प्रदेश के समस्त 407 नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त 380 नगरीय निकायों की 1,510 परियोजनाओं में EWS श्रेणी के 7,45,713 आवासीय इकाई स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 74,363 हितग्राहियों को योजना के CLSS घटक से भी लाभान्वित किया गया है। स्वीकृत योजनाओं में CLSS को सम्मिलित करते हुए 3.00 लाख आवासीय इकाईयां का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष इकाइयों पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

3.5 इस योजना अंतर्गत प्रदेश में यह प्रयास किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों के साथ कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के सामाजिक स्तर में भी सुधार तथा निर्मित किये जाने वाले परिसर का संचालन, संधारण भी नियमित रूप से हो सके। मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रहीं आवासीय इकाईयों से होने वाले आय से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को भी क्रॉस सब्सिडी के विकल्प को भी ध्यान में रखा गया है।

3.6 इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिको को राशि रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

4 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश

4.1 प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में प्रदेश के शहरों में खुले में शौच से मुक्ति, शहरी क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, नागरिकों के स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास और नगरीय निकायों की क्षमतावर्धन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रमुख घटक निम्न हैं:—

घटक क्रमांक 1	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
घटक क्रमांक 2	सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण
घटक क्रमांक 3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
घटक क्रमांक 4	क्षमतावर्धन
घटक क्रमांक 5	सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियां

4.2 उपरोक्तानुसार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की वर्ष 2020—21 के दौरान घटकवार प्रगति निम्नानुसार रही है:—

4.2.1 घटक क्रमांक —1 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण

4.2.1.1 वर्ष 2014 से 2021 तक मिशन के लक्ष्यों में 7 लाख 31 हजार 971 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शामिल किया गया था। इस लक्ष्य से प्रदेश में जहां एक ओर नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन स्तर में परिवर्तन वांछनीय था वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शहरों को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति दिलाना था। इस घटक के अंतर्गत नागरिकों की मांग के आधार पर उन्हें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए निम्नानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है :—

क्र	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	13600 / —	4000 / —	6880 / —	1360 / —	1360 / —

4.2.1.2 वर्ष 2020—21 तक व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण घटक में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

378 निकायों में कुल स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय	निर्मित कुल व्यक्तिगत शौचालय	वर्ष 2020 के दौरान प्रगति	वर्ष 2020 के दौरान जारी राशि (लाख में)
6,87,153	5,75,334	5968	3168.17

4.2.2 घटक क्रमांक –2 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

4.2.2.1 शहरों में प्रतिदिन आसपास के क्षेत्रों से आने वाली आबादी और शौचालय विहीन परिवारों की शौच सुविधा के लिए 11500 सीट सामुदायिक और फ्लोटिंग जनसंख्या के लिए 12733 सीट सार्वजनिक शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

4.2.2.2 प्रदेश में चलित जनसंख्या को लक्षित करते हुए सार्वजनिक स्थानों सार्वजनिक शौचालय और उन बस्तियों में जहां व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए उचित व पर्याप्त स्थान न हो, में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए शासन द्वारा निम्नानुसार अनुदान प्रावधानित हैः–

क्र.	निकाय	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	39200 / –	32500 / –	6500 / –
2	नगर पालिका परिषद	39200 / –	32500 / –	6500 / –
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर)	39200 / –	29250 / –	9750 / –
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये)	39200 / –	26000 / –	13000 / –

4.2.2.3 प्रदेश की निकायों में वर्ष 2020–21 तक सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण व व्यय की स्थिति निम्नानुसार दर्ज की गई है :–

378 निकायों में कुल स्वीकृत सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	निर्मित कुल सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	वर्ष 2020 के दौरान प्रगति	वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान जारी राशि (लाख में)
24,233	19,543	1110	434.42

4.2.2.4 इसके अलावा भ्रमणशील जन सामान्य जैसे तीर्थ यात्री आदि के लिये मोबाईल टायलेट नगरीय निकायों को प्रदान किये गये हैं, जिसके अंतर्गत कुल 118 इकाई मोबाईल टॉयलेट प्रदान कर नदियों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यवाही की गयी है, जिससे खुले में शौच की समस्या को स्थाई रूप से समाप्त किया जा सके। वर्ष 2020–21 में प्रदेश में स्वच्छता को संवहनीय बनाने के लिए अधिक सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश निकायों को ओडीएफ+ एवं ओडीएफ++ प्रमाणित किए जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। इस दिशा में प्रदेश की 63 निकायों ने अपने ओडीएफ+ एवं 312 निकायों ने ओडीएफ++ के दावे प्रस्तुत किए हैं, जिनका जमीनी सत्यापन प्रचलन में है। अब तक प्राप्त परिणामों के अनुसार 50 निकाय ओडीएफ+ एवं 17 निकाय ओडीएफ++ प्रमाणित किए जा चुके हैं।

**ओडीएफ + प्लस का अर्थ शहर में 100 प्रतिशत लक्षित व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ 10 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों में विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं शेष 90 प्रतिशत में समस्त आधारभूत सुविधाएं होना चाहिए। इसी प्रकार ओडीएफ + + का अर्थ 100 प्रतिशत लक्षित व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ 50 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों में विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं शेष 50 प्रतिशत में समस्त आधारभूत सुविधाओं के साथ सभी शौचालयों फीकल मल के उपचार के लिए सुविधा होना चाहिए। यह प्रमाणीकरण भारत सरकार द्वारा अनुबंधित तृतीय पक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन, सिटीजन फीडबैक एवं निर्धारित मानकों के तहत प्रमाणित किया जाता है।*

4.2.3 घटक क्रमांक –3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

4.2.3.1 प्रदेश के शहरों में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। अतः प्रदेश की पर्यावरणीय चिंताओं का ध्यान रखते हुए प्रदेश के सभी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को प्रारंभ किया जाना लक्षित किया गया था। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में उत्सर्जित कचरे का प्रबंधन नगरीय निकायों का ही दायित्व माना गया है। इसी आधार पर ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के विहित प्रावधानों के अनुसार यह जिम्मेदारी निकायों को ही प्रदान की गई है। इस जिम्मेदारी को निकाय या वार्ड स्तर पर पृथक्कीकरण किया जाकर, माइक्रो लेवल वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था को अपनाते हुए शहरों में जीरो लैंडफिल की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

4.2.3.2 इस घटक के अंतर्गत प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए निकायों को अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लागत का 58.3 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। शेष राशि निकाय अंशदान/जन निजी भागीदार का अंशदान होता है। निकायों में दैनिक आधार पर उत्सर्जित होने वाले कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2020–21 में प्रदेश के 378 निकायों में सभी माध्यमों से 23.45 लाख टन कचरे का उत्सर्जन रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से निकायों द्वारा 21.12 लाख टन (87प्रतिशत) कचरे का निपटान व प्रसंस्करण किया गया है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 3999.77 लाख का व्यय किया गया है।

4.2.3.3 इसके अलावा निकायों द्वारा लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निपटान, और वर्तमान डंपसाइटस को सुरक्षित रूप से हटाए जाने या कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उपरांत भूमि वापस प्राप्त किए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

4.2.4 घटक क्रमांक 4 क्षमतावर्धन

4.2.4.1 निरंतर होते शहरी विकास और उससे उपजने वाली चुनौतियों से मुकाबले के लिए निकायों को सक्षम बनाया जाना आवश्यक है। इसी कारण मिशन में क्षमतावर्धन घटक का प्रावधान किया गया जिसका उददेश्य प्रदेश के सभी निकायों की वर्तमान तकनीकी और ज्ञान क्षमता को बढ़ाना और उन्हें सक्षम बनाना था। इस घटक में 60 प्रतिशत केन्द्रांश प्राप्त होता है और राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत है। इस घटक के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निकायों को तकनीकी क्षमतावर्धन के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है।

4.2.5 घटक क्रमांक 5 सूचना, शिक्षा व संचार

4.2.5.1 शहरी स्वच्छता की संवहनीयता में नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने में नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उददेश्य से नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को लक्षित करते हुए जनजागरूकता एवं सूचना, शिक्षा संप्रेषण का घटक शामिल किया गया।

4.2.5.2 वर्ष 2020–21 में जागरूकता गतिविधियों का प्रमुख लक्ष्य जहां एक ओर नागरिकों को स्वच्छता से जुड़े विषयों पर जागरूक किया गया वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से उपजी परिस्थितियों के लिए नागरिकों को जागरूक करना भी प्रमुख लक्ष्यों में था, जिसमें नागरिकों को प्रोटोकॉल के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी का पालन, मास्क का प्रयोग, संक्रमण से बचने के लिए हाथ सेनिटाइज करने अथवा साबुन से धोने की आदत और बायोमेडिकल अपशिष्ट, उपयोगित मास्क का सुरक्षित निपटान करना आदि गतिविधियां भी थे। इस वर्ष के दौरान प्रदेश के निकायों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वच्छता अभियानों का संचालन भी किया गया। इस वर्ष संचालित किए गए प्रमुख जन अभियानों में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, दो से भले तीन अभियान, हैंडवाश अभियान, टॉयलेट–20 अभियान, जीतेगा मध्यप्रदेश अभियान जैसे अभियानों का संचालन किया गया। इन अभियानों के माध्यम से प्रदेश के शहरों की अधिकांश जनसंख्या तक पहुंचने में सफल रहे। इनके अलावा प्रदेश के निकायों में नियमित गृहभेंट अभियान, युवाओं और छात्रों आदि के साथ जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में उत्सर्जित होने वाले कचरे की मात्रा को रिसाइकल, रियूज, रिड्यूज के साथ नागरिक भागीदारी से व्यवहार परिवर्तन को लक्षित करते हुए रिड्यूज को भी प्रचारित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए 4–आर का प्रयोग किया जा रहा है।

4.2.5.3 इनके अलावा प्रदेश के निकायों द्वारा सभी निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का विधिवत रखरखाव किए जाने के साथ साथ प्रदेश के सभी शहरों को ओडीएफ और ओडीएफ के मानक स्तर पर प्रमाणित कराना है। साथ ही प्रदेश के निकायों को स्टार रेटिंग का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत निकायों के क्षमतावर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए गए, जिसमें निकायों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण, अशासकीय संस्थाओं का प्रशिक्षण आदि गतिविधियों को संचालित किया गया। इसके अलावा स्वच्छता संवाद गतिविधि के माध्यम से निकायों से नियमित संवाद सुनिश्चित किया गया। इसके अंतर्गत ऑनलाइन चर्चाओं के ताध्यम से निकायों को प्रेरणा, प्रशिक्षण और प्रयासों की निगरानी की गई। इसमें संवाद कार्यक्रम में संचालनालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारी और निकायों के अधिकारी प्रतिदिन शामिल होते थे।

4.3 अन्य प्रमुख प्रयास

4.3.1 निकायों, कर्मियों, नागरिकों एवं सहयोगियों को प्रोत्साहन

प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था में नागरिकों व स्वच्छता कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रदेश में उनके प्रोत्साहन के लिए निरंतर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

01. माननीय विभागीय मंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के निकायों को सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तीन माह में निकायों की रैंकिंग की जाती है और श्रेष्ठ प्रयास करने वाले निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप उनका सम्मान किया जाता है। इस अनुक्रम में विभिन्न अभियानों के तहत निम्नानुसार कार्यवाही की गई :–

गंदगी भारत छोड़ो अभियान माह अगस्त में जनसंख्या वर्ग अनुसार नकायों की रैंकिंग

25 हजार से कम	25 हजार से एक लाख	1 लाख से 05 लाख	05 लाख से अधिक
मूंगावली	धार	कटनी	इंदौर

माह अक्टूबर / नवंबर / दिसंबर में जनसंख्या वर्ग अनुसार निकायों की रैंकिंग

25 हजार से कम	25–50 हजार	50000–1 लाख	1–3 लाख	3 लाख से अधिक
ओंकारेश्वर	बड़वाहा	अशोकनगर	खरगौन	उज्जैन

02. इसके अलावा निकायों में श्रेष्ठ होटल, स्कूल, कार्यालय, आदि की रैकिंग भी की गई है। जिसमें स्वच्छता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिष्ठानों की सराहना की गई।

03. निकायों में स्वच्छता में सहभागिता हेतु नागरिकों को आगे लाने के लिए स्वच्छता चैपियंस को चिहिन्त किया गया, जिनके द्वारा विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों के संचालन में सहयोग किया गया। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के निकायों में उन नागरिकों/छात्रों आदि को सम्मानित किया गया जिन्होंने प्रदेश की स्वच्छता में बेहतर योगदान दिया।

04. नगरीय स्वच्छता की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वच्छता कर्मियों की है। प्रदेश के निकायों में प्रत्येक माह बेहतर योगदान करने वाले स्वच्छता कर्मी को चिन्हित करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इससे कर्मियों के योगदान को रेखांकित किया गया एवं उनकी सराहना भी की गई।

इनके अलावा निकाय स्तरीय विभिन्न प्रोत्साहन गतिविधियों का निरंतर आयोजन किया जाता है, जिनमें अशासकीय संगठनों, स्वसहायता समूहों, आवासीय संघों, बाजार संस्थाओं आदि को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। निकायों को उक्त समस्त गतिविधियों के लिए राशि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के सूचना, शिक्षा व संचार मद से प्रदान की गई।

4.3.2 फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन

4.3.1 प्राकृतिक जल स्त्रोतों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परंतु सेप्टिक टेंक से निकलने वाले स्लज एवं तरल अपशिष्ट प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में एक है। जनगणना–2011 के आंकडो के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या 2.02 करोड़ है। इसके आधार पर राज्य में लगभग 40 लाख परिवार निवास करते है, इनमें से केवल 20 प्रतिशत परिवार सीवर नेटवर्क से जुडे हुये है, जबकि 52 प्रतिशत परिवार सेप्टिक टेंक व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित है। इन 52 प्रतिशत परिवारों के सेप्टिक टेंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज के प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं भू–जल स्त्रोत के प्रदूषित होने की संभावना है। प्रदेश में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन को मानक बनाए जाने के उददेश्य से कार्य नीति तैयार की गई।

4.3.2 वर्ष 2020–21 में प्रदेश के 144 निकायों में एफएसटीपी का निर्माण किया जा चुका है और 20 हजार से कम जनसंख्या वाले 147 निकायों में डीआरई तकनीकी के माध्यम से फीकल स्लज का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इसके अलावा 21 निकायों ने अन्य नजदीक के निकायों/सुविधाओं से अनुबंध किया है।

4.3.3 स्वच्छता संवहनीयता

4.4.1 प्रदेश में स्वच्छता संवहनीयता एक प्रमुख घटक है, जिसको प्रत्येक उपलब्ध माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निकायों में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के साथ बर्तन बैंक, झोला बैंक आदि जैसी नागरिक नेतृत्व गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदेश की स्वच्छता के लिए चुनौती है, इसे क्रमशः कम से कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अमानक पॉलीथीन पर प्रतिबंध को निकायों में सख्ती से लागू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

4.4.2 प्रदेश के प्रत्येक निकाय में पृथक्कीकृत कचरा संग्रहण स्वच्छता संवहनीयता की आधारशिला है, इस प्रयास से प्रदेश में संग्रहित कचरे को रिसाइकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। गीले कचरे की केन्द्रित एवं विकेंन्द्रीकृत/होम कंपोस्टिंग को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिए निकायों में 276 से अधिक मटेरियल रिकवरी केन्द्रों के माध्यम सूखे कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिए निकायों में 276 से अधिक मटेरियल रिकवरी केन्द्रों के माध्यम से सूखे कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

5 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

5.1 केन्द्र प्रवर्तित ''स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)'' के स्थान पर 12वी. पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना ''डे–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)''अक्टूबर 2013 से लागू की गई है।

5.2 उद्देश्य

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए ''दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

5.3 योजना के चरण

प्रथम चरण – वर्ष 2013–16

जनगणना 2011 के अनुसार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा सभी जिला मुख्यालय शहर (जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है) शामिल किये गये हैं।

क्र.	जनसंख्या	प्रदेश के शहर	शहर संख्या
1	10 लाख से ऊपर	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर	04
2	5 लाख से 10 लाख	उज्जैन	01
3	3 लाख से 5 लाख	सगर	01
4	1 लाख से 3 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर, डबरा	27
5	जिला मुख्यालय शहर 1 लाख से नीचे	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डोरी, धार, आगर	22
		कुल शहर	**55**

द्वितीय चरण वर्ष 2017–18

1	50,000 (पचास हजार) से अधिक जनसंख्या वाले 15 निकाय	मण्डीदीप (रायसेन), आष्टा (सीहोर), सिरोंज (विदिशा) , गंजबासौदा (विदिशा), गोहद (भिण्ड), सेंधवा (बडवानी), गाडरवाडा (नरसिंहपुर), मैहर (सतना), बीना–इटावा (सागर), खुरई (सागर), जावरा (रतलाम), राघोगढ–विजयपुर (गुना), मकरोनिया (सागर), शुजालपुर (शाजापुर), सारणी (बैतूल)	15

तृतीय चरण वर्ष 2018–19

1	30,000 (तीस हजार) से अधिक जनसंख्या वाले केवल 10 निकाय	अम्बाह (मुरैना), ब्यावरा (राजगढ), पिपरिया (होशंगाबाद), पांदुरना (छिन्दवाडा), धनपुरी (शहडोल), सिहोरा (जबलपुर), नौगांव (छतरपुर), सनावद (खरगोन), बडनगर (उज्जैन) एवं मलाजखंड (बालाघाट)	10

चतुर्थ चरण वर्ष 2019–20

1	28,000 (अठ्ठाईस हजार) से अधिक जनसंख्या वाले 30 निकाय	सारंगपुर (राजगढ), जौरा (मुरैना), सबलगढ (मुरैना), पोरसा (मुरैना), डोगरपरासिया (छिन्दवाडा), राऊ (इन्दौर), खाचरोद (उज्जैन), बेगमगंज (रायसेन), चन्देरी (अशोकनगर), बानमोर (मुरैना), बिजुरी (अनूपपुर), हटा (दमोह), नरसिंहगढ (राजगढ), धामनौद (धार), महिदपुर (उज्जैन), बरेली (रायसेन), राहतगढ (सागर), बैरासिया (भोपाल), बण्डा (सागर), गढाकोटा (सागर), मनावर (धार), रहली (सागर), आमला (बैतूल), सिवनी–मालवा (होशंगाबाद), मऊगांव (इन्दौर), करेरा (शिवपुरी), कुछी (धार), आरोन (गुना) एवं निवाडी	30

पंचम चरण वर्ष 2020–21

वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना का विस्तार मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों में किया गया है।

5.4 योजना के घटक :–

5.4.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास
(Social Mobilisation And Institution Development)

5.4.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार
(Employment Through Skills Training And Placement)

5.4.3 स्वरोजगार कार्यक्रम
(Self-Employment Programme)

5.4.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
(Capacity Building & Training)

5.4.5 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायता
(Support to Urban Street Vendors)

5.4.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना
(Shelter For Urban Homeless)

5.5 घटकवार विवरण एवं वर्षवार प्रगति

5.5.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास

घटक अंतर्गत समूहों की त्रिस्तरीय संगठनात्मक रचना की गई है। प्रथम स्तर पर 10 से 20 महिलाओं को मिलाकर स्व सहायता समूह का गठन किया जायेगा। द्वितीय स्तर पर 10–20 स्व सहायता समूहों के चिन्हित सदस्यों से एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। तृतीय स्तर पर 10–20 एरिया लेवल फेडरेशन के सदस्यों से सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। इस संघीय संरचना का उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इस संरचना से समूहों के निर्माण, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी, बैंक लिंकेज, निरंतर आजीविका, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि में सहायता मिलेगी। उक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	स्व–सहायता समूह गठन	समूह को प्रदान की गई आवर्ती निधि (रिवाल्विंग फंड) (रू. लाख में)	कुल बैंक ऋण (रू. लाख में)		
					बैंक ऋण	ब्याज अनुदान	योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014–15	2500	1382	0.32	226.12	11.30	237.42
2	2015–16	3000	3870	113.60	529.10	26.45	555.55
3	2016–17	3000	3668	272.10	551.10	27.60	578.7
4	2017–18	12000	8514	529.90	1740.18	87.00	1827.18
5	2018–19	4000	5945	1433.90	2295.20	91.80	2387.00
6	2019–20	4000	3269	3000.00	2101.96	1954.83	2101.96
7	2020–21 माह फरवरी	1750	3330	124.00	850.31	59.52	909.83
कुल योग		**30250**	**29978**	**5473.82**	**8293.97**	**2258.5**	**8597.64**

5.5.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

घटक अंतर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न पाठ्यक्रमों (कोर्स) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है।रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण संपादित कराया जाता है। प्रशिक्षण तकनीकी एवं गैर–तकनीकी क्षेत्रों में किए जाते है। तकनीकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम, आटो मोबाईल सेक्टर आदि आते है तथा गैर–तकनीकी क्षेत्र में ब्यूटीशियन, गारमेंट मेकिंग, रिटेल, नर्सिंग आदि आते है।

प्रमुख विशेषताएँ :

- न्यूनतम 200 घण्टे का कौशल प्रशिक्षण।
- भारत सरकार द्वारा अधिकृत शासकीय संस्थाओं ''एन.सी.व्ही.टी एवं सेक्टर स्किल कॉउन्सिल'' के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण।
- कम से कम 70% प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन।
- प्लेसमेंन्ट उपरांत 14 माह तक हितग्राहियों की ट्रेकिंग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	कुल प्रशिक्षित हितग्राही	नियोजित हितग्राही	नियोजन के प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	2014–15	40000	1118	373	सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, गारमेंट मैंकिग, नर्सिंग, बैंकिंग और अकाउन्टिग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोटिव, कन्सट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, वूड वर्क, सिक्योरिटी, ट्यूरिज्म, टैलीकॉम इत्यादि
2	2015–16	40000	48535	9582	
3	2016–17	40000	40843	40035	
4	2017–18	49000	20620	5701	
5	2018–19	25000	45624	30420	
6	2019–20	41000	17722	5783	
7	2020–21 माह फरवरी	29900	17126	2514	
कुल योग		**264900**	**191588**	**94408**	

5.5.3 स्वरोजगार कार्यक्रम

घटक अंतर्गत हितग्राहियों को लघु उद्यमिता विकास, स्वरोजगार स्थापना, वित्तीय पोषण एवं उद्यमिता आधारित सेवायें, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है :–

- घटक अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राहियों को अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
- समूह ऋण के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
- स्व सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। स्व सहायता समूहों को नियमित भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	लाभान्वित हितग्राही	कुल वितरित ऋण राशि (रू. लाख में)	
				ऋण राशि	ब्याज अनुदान सहायता
1	2	3	4	5	6
1	2014–15	12000	3245	2432.65	11.30
2	2015–16	12000	14327	9730.42	56.59
3	2016–17	12000	15466	1177.63	101.27
4	2017–18	30000	19570	16892.38	272.19
5	2018–19	16000	14393	15948.54	146.00
6	2019–20	10000	4859	5256.15	605.19
7	2020–21 माह फरवरी	5050	917	1012.85	505.32
कुल योग		**97050**	**72777**	**52450.62**	**1697.86**

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण

घटक अंतर्गत राज्य स्तर पर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट तथा निकाय स्तर पर सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर वर्तमान में 5 राज्य मिशन प्रबंधक, निकाय स्तर पर 90 सिटी मिशन प्रबंधक तथा 210 सामुदायिक संगठक कार्यरत हैं।

शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता

घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा उचित स्थान यथा– हाकर्स कार्नर निर्माण व संधारण का प्रावधान है। पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पहचान पत्र तैयार करना, वेन्डर्स जोन बनाना, वेंडर मार्केट निर्माण करना, स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार स्थापित कराना, पथ विक्रेताओ को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत 1 से 2 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराना। 5,55,576 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है एवं 5,43,111 को परिचय पत्र/विक्रय प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं।

शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

घटक अंतर्गत शहरी आश्रयहीन को उपयुक्त आश्रय स्थल का प्रावधान है। वर्तमान में 55 नगरीय निकायों में 119 आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे है। इन आश्रय स्थलों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधायें यथा– स्वच्छ पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, निरंतर बिजली, हवादार कमरे, स्वच्छ बिस्तर, टी.वी, कूलर, पंखे, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आसपास के क्षेत्रों से निरंतर आवागमन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आश्रय स्थल रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, मण्डी तथा जिला चिकित्सालयों के समीप स्थापित किये गये हैं। सभी आश्रय स्थल 24 घण्टे के लिए संचालित है एवं इनका संचालन निकायों व गैर–शासकीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय व्यवस्था

योजनांतर्गत केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 की प्रतिशत हिस्सेदारी है।

योजना में प्राप्त आवंटन एवं व्यय

(रू. लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना की शेष राशि का आवंटन	3538.96	-
2014-15	4273.63	2425.02
2015-16	2604.18	5325.91
2016-17	5633.15	5463.95
2017-18	6958.33	5875.09
2018-19	3600.00	7240.77
2019-20	8126.76	6552.75
2020-21 (माह दिसम्बर)	6861.73	4086.54
Total	**41596.74**	**36970.03**

6 स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)

कोविड–19 महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है।

6.1 उद्‌देश्य

1. रु. 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
2. नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना।
3. डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना।

योजना से शहरी पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्‌देश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

6.2 लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड

यह योजना 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिग कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी :–

1. ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग / पहचान पत्र है।
2. ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग / पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

योजना के ऐसे विक्रेताओं को अनंतिम सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें।

6.3 योजना के अंतर्गत लाभ

1. पात्र पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण 10 हजार रूपये
2. भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता 7 प्रतिशत
3. 7 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा देय
4. डिजीटल पेमेन्ट पर कैशबैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 :-)
5. योजना अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2022(ब) राज्य योजनाएं

6.4 प्रगति

पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 2 लाख 87 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रु. 287 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। योजना में 7%ब्याज अनुदान केन्द्र शासन एवं शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन के द्वारा वहन किया जा रहा है। योजना में 2 लाख 56 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रु. 256 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

7. छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

7.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझौले शहरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्‌देश्य से यूआईडीएसएसएमटी योजना प्रारंभ की गई है।

7.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्व राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

7.3 योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वियन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार का गठन किया गया है।

7.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी मनोनीत है।

7.5 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रू. 2849.36 करोड़ राशि की 114 नगरों की 178 परियोजनायें (पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) स्वीकृत की गई है। इसमें से 159 परियोजनाओं (92 जलप्रदाय, 63 सड़क एवं 04 सीवरेज) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

7.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है।

(ब) राज्य योजनाएं

1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। 31 मार्च 2020 तक कुल 58515 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

नोटः– उक्त योजना को वर्ष 2016 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समायोजित की गई है।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आई. टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल उन्नयन किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में रू. 2,000.00 पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। 31 मार्च 2020 तक कुल 72628 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

नोटः– उक्त योजना को वर्ष 2016 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समायोजित की गई है।

3. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्पी का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना वर्ष 2013 में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। 31 मार्च 2020 तक कुल 12684 हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

नोटः– उक्त योजना को वर्ष 2016 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समायोजित की गई है।

4. मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना, 2017

शहरी गरीबों के शारिरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी। 31 मार्च 2020 तक कुल 1777 हितग्राहियों को ई–रिक्शा एवं ई–लोडर प्रदान किये गये हैं।

नोटः– उक्त योजना को वर्ष 2016 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समायोजित की गई है।

5. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

योजना अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अंत्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी), पंजीकृत हाथठेला चालक एवं साईकिल रिक्शा चालक, पंजीकृत पथ विक्रेता, पंजीकृत केश शिल्पी एवं पंजीकृत शहरी घरेलू कामकाजी महिला हितग्राहियों के लिये स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–50 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान तक 54931 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

नोटः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना अंतर्गत नवीन लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये है, साथ ही योजना के क्रियान्वंयन को 27 जून 2020 से स्थगित किया गया है। केवल 2019–20 के बैंको से स्वीकृत ऋण प्रकरणों का वितरण कराया गया है।

6. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 से अधिक 10.00 लाख रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–30 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 07 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 25000.00 प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जाता है। योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान तक 56112 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

नोटः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना अंतर्गत नवीन लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये है, साथ ही योजना के क्रियान्वंयन को 18दिसम्बर 2020 से स्थगित किया गया है। केवल 2019–20 के बैंको से स्वीकृत ऋण प्रकरणों का वितरण कराया गया है।

7. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

यह योजना वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत केवल कृषक पुत्री/पुत्र को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 50,000.00 से अधिक 2.00 करोड़ रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–20 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी गई है। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 07 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान तक 124 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नोटः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना अंतर्गत नवीन लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये है, साथ ही योजना के क्रियान्वंयन को 18 दिसम्बर 2020 से स्थगित किया गया है। केवल 2019–20 के बैंको से स्वीकृत ऋण प्रकरणों का वितरण कराया गया है।

8. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना–द्वितीय चरण

8.1 उद्देश्य

राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में "दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" संचालित की जा रही है।

8.2 कार्यक्षेत्र

"दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" प्रथम चरण में 51 जिला मुख्यालयों में 56 केन्द्रों पर 07.04.2017 से आरम्भ की गई। द्वितीय चरण अंतर्गत रसोई योजना का विस्तारण 52 जिला मुख्यालयों व 6 धार्मिक नगरियों मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा व चित्रकूट अंतर्गत कुल 100 रसोई केन्द्रों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी 2021 को सम्पन्न किया जायेगा।

8.3 योजना अन्तर्गत लाभ

योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों के सदस्यों को स्वच्छ, सस्ता एवं पौष्टिक भोजन दस रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दोपहर के समय उपलब्ध कराया जायेगा।

8.4 रसोई केन्द्रों की स्थापना

"दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" अंतर्गत रसोई केन्द्र की स्थापना बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल तथा ऐसे क्षेत्र जहॉ पर शहरी गरीबों की संख्या बहुतायत में हो।

8.4.1 रसोई केन्द्र का मेन्यू

रोटी, मौसमी सब्जी, दाल एवं चावल

रसोई केंद्रो में उपयोग में आने वाले खाद्यान्न गेंहू एवं चावल, एक रूपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

9. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

9.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

9.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जा रहा है, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा राशि रू. 1000.00 करोड़ की प्रदान की गई है। इसी प्रकार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी राशि रू. 500.00 करोड़ एवं 260.24 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रू. 1760.24 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में 155 नगरीय निकायों की कुल योजना राशि रू. 2100.93 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रू. 132.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 90.00 करोड़, वर्ष 2014–15 में प्रावधानित राशि रू. 139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 76.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में राशि रू. 106.92 करोड़, वर्ष 2017–18 में राशि रू. 27.70 करोड़, वर्ष 2018–19 में राशि रू. 4.41 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में राशि रू. 7.20 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किया गया है। वर्तमान तक स्वीकृत 155 नगरीय निकायों में से 118 नगरीय निकायों पेयजल योजना का कार्य पूर्ण, 32 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 05 नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। विवरण **परिशिष्ट–छः** पर है।

10. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

10.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना 2012 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क, शहरी यातायात, सौन्दर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान, धरोहर संरक्षण आदि कार्य कराया गया है।

10.2 योजना के प्रथम चरण अंतर्गत लागत रू. 1428.00 करोड़ है, जिसमें 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत राशि ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

10.3 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण राशि रू. 1800 करोड़ का वर्ष 2016 में स्वीकृति हुआ है, योजना में स्वीकृत राशि का 20% अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा एवं 80% प्रतिशत राशि ऋण के रूप में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा नगरीय निकायों को उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत राशि ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

10.4 योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत 378 नगरीय निकायों में 473 परियोजनाओं को रू. 1800.00 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 91 परियोजनाओं में कार्य अप्रारंभ होने से अथवा प्रगति नगण्य होने से परियोजनाएं निरस्त की गयी है। योजनांतर्गत 382 परियोजनाओं में से 97 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा शेष 285 परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत है।

10.5 योजना अंतर्गत कुल 13 नगरों मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कराने का कार्य भी इसी योजना के तहत किया जा रहा है।

10.6 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण की मंत्रि–परिषद के आदेश दिनांक 16.01.2020 से रू. 536.00 करोड़ की स्वीकृति है जो वर्ष 2020–21 से 2023–24 चार वर्षों के लिये स्वीकृत की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्नानुसार कार्य कराये जायेगें –

- निकायों की आय वृद्धि के लिए आवश्यक अधोसंरचना कार्य।
- सड़कों को पक्का किया जाना एवं नालियों का निर्माण।
- पार्कों तथा हरित क्षेत्रों का विकास।
- स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण
- स्मार्ट रोड बनाने का कार्य
- नवगठित एवं अन्य नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्य।

11. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण के अर्न्तगत कार्य

11.1 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अर्न्तगत मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्य किया जा रहा है। जिसमें 13 नगरों को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित है। इस हेतु राशि रूपये 229.04 करोड़ के अनुबंध मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किए जा चुके है।

11.2 मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विभिन्न नगरों में डेशेल्टर निर्माण कार्य, शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य, बस स्टैण्ड निर्माण कार्य एवं मंदिरों का सौन्दर्यकरण एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु दक्ष कार्य किया जा रहा है।

12. एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

12.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्न परियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

12.2 एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 11 नगरीय निकायों की योजना राशि रू. 157.45 करोड़ की स्वीकृत की गई है तथा इन नगरीय निकायों को कुल राशि रू. 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 11 निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

13. झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन

13.1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2012 में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने संबंधित निर्देश दिये गये थे। इसी के अनुपालन में प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य हेतु एक कार्ययोजना बनाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल एजेंसी घोषित किया गया। प्रदेश के नगरीय निकायों में झीलों एवं तालाबों के बेहतर संरक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसके अनुक्रम में दिनांक 13.01.2014 को विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निति का निर्धारण कर अनुमोदन किया गया। योजना का वित्तीय पोषण निर्धारित किया गया हैः–

क्र.	निकाय प्रकार	राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का प्रतिशत	निकाय का अंश
1	नगर निगम	60%	40%
2	नगर पालिका	75%	25%
3	नगर परिषद्	90%	10%

13.2 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में झीलों एवं तालाबों की सीमा में होने वाले कटाव को रोकने संबंधी कार्य, झीलों एवं तालाबों के आसपास बाउंड्री वॉल बनाना, सघन वृक्षारोपण तथा लॉन विकसित करना, पेवमेंट, लैम्प तथा फव्वारों की स्थापना, अपशिष्ट जल को रोकने/शोधन हेतु किफायती प्रयास जैसे रूटझोन ट्रीटमेंट व्यवस्था, झील एवं तालाबों के किनारे नाली/सीवर पाईप द्वारा अपशिष्ट जल को रोकना, संबंधित कार्य किये जाना निर्धारित किया गया है।

13.3 झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 से वर्ष 2020–21 तक 36 नगरों की योजनायें राशि रू. 78.14 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने के लिये नगरीय निकायों को निर्धारित अनुपात में राज्यांश राशि रू. 57.24 करोड़ का अनुदान जारी किया जा चुका है। योजनांतर्गत लगभग 12 नगरीय निकायों के झीलों एवं तालाबों के संरक्षण कार्य पूर्णता की ओर है। शेष 24 नगरीय निकायों की योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

13.4 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–आठ** पर है।

14. विशेष निधि से वित्त पोषित नगरों की सीवरेज परियोजना

14.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वित्त व्यवस्था म.प्र. शासन के विशेष निधि के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है ।

14.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यो में 07 नगरों में मलजल निस्तारण की योजना प्रस्तावित है ।

14.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण एवं उपचार योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 6 नगर क्रमशः बुधनी, नेमावर, अमरकंटक, डिण्डोरी, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं इनके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी के शुद्धीकरण हेतु चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य आरंभ किये जा चुके हैं ।

14.4 परियोजना की कुल लागत रू. 185.00 करोड़ है ।

14.5 नर्मदा नदी के किनारे स्थित 06 नगर एवं मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट नगर की सीवरेज परियोजनाओं में कार्य आरंभ किये जा चुके हैं ।

14.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम

1.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 128 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जल प्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर/धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 10 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण सहायता लेते हुए मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 128 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रथम चरण में 64 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय चरण में शेष 64 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं ली जाएंगी। साथ ही परियोजना के प्रथम चरण में 4 नगरीय निकायों तथा द्वितीय चरण में 6 नगरीय निकायों की मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाएं प्रस्तावित है।

1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू. 5400.00 करोड़ अर्थात् 785 मिलियन यू.एस. डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋणों के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

1.5 योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 64 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 4 मलजल योजना की डीपीआर तैयार की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 22 पैकेजों के अंतर्गत 64 नगरीय निकायों की जल प्रदाय एवं 4 निकायों की मलजल की व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। इनमें 26 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रू. 2538.27 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मो को जारी कर दिये गये है।

1.6 योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 64 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 6 मलजल योजना की डी.पी.आर. तैयार की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 32 पैकेजों में से सभी 32 पैकेजो के अंतर्गत 64 नगरीय निकायों की जल प्रदाय व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इनमें 20 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग 1020.44 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मों को जारी कर दिये गये हैं।

1.7 म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए पी.एम.सी. (परियोजना प्रबंधन सलाहकारिता फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का चयन कर फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है। फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

1.8 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 19 जून, 2017 को प्रथम चरण का ऋण अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

1.9 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ द्वितीए चरण हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को ऋण अनुबंध निष्पादित किया है।परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

1.10 म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पी.एम.डी.एस.सी. (परियोजना प्रबंधन आकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार) हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए नगरों की जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण (ऋण) से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 7 नगरों में मल जल निस्तारण एवं उपचार तथा 3 नगरों में जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है।

2.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारें एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 4 नगर क्रमशः भेड़ाघाट, नसरूल्लागंज, महेश्वर एवं धरमपुरी तथा 3 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः शाजापुर, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित है।

2.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, खरगौन एवं सेवढ़ा में प्रस्तावित है ।

2.5 परियोजना की कुल लागत रू. 1080.00 करोड़ (166.00 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

2.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

2.7 विश्व बैंक के साथ दिनांक 12 जून, 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है ।

2.8 बुरहानपुर, खरगौन और सेवड़ा नगर की जल प्रदाय योजना तथा छिंदवाडा, महेश्वर, नसरूल्लागंज, धरमपुरी, शाजापुर एवं भेड़ाघाट नगर की सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है।

2.9 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

3. केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वायरमेंट प्रोग्राम

3.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण उन्नत करने के लिये सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वार्यमेंट प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है।

3.2 योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 5 नगरों क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बड़वानी एवं सेंधवा में मलजल निस्तारण एवं उपचार प्रस्तावित है ।

3.3 परियोजना की कुल लागत रूपये 525.00 करोड़ (75 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

3.4 केएफडब्ल्यू बैंक के साथ 01 दिसम्बर, 2017 को अनुबंध किया जा चुका है।

3.5 होशंगाबाद, बड़वानी, सेंधवा एवं नरसिंहपुर नगर की सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है।

3.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमपेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

1.1 वर्तमान वैश्वीकरण तथा कोरोना महामारी संकटकाल में देश को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2020 को "आत्मनिर्भर–भारत योजना" का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी का प्रशासन में समावेश एवं विस्तार, जनसांख्यिकी शक्ति को प्रबल करना तथा घरेलू बाजार में मांग एवं पूर्ति की क्षमता को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।

1.2 आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के परिपालन में दिनांक 12/11/2020 को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के विकास का **'रोडमैप–2023'** जारी किया गया है, जो विकास में जन सहभागिता तथा मॉनिटरिंग की व्यवस्था का ढांचा है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है।

1.3 इस योजना में तकनीकी का व्यापक प्रयोग कर विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु **"atmanirbhar.mp.gov.in"** ऑनलाइन पोर्टल का विमोचन दिनांक 15/12/2020 को किया गया। इस ऑनलाइन पोर्टल का संचालन 'अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (AIGGPA)' तथा MAP-IT द्वारा किया जा रहा है। अत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के 'रोडमैप–2023' का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

विषयः भौतिक अधोसंरचना			**अल्पकालीन (मार्च 2021 तक)**	**मध्यकालीन (मार्च 2022 तक)**	**दीर्घकालीन (दिसंबर 2023 तक)**
आउट–कम	**आउट–पुट**	**गतिविधियां**	**उप–गतिविधियां**	**उप–गतिविधियां**	**उप–गतिविधियां**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समावेशी शहरी विकास	4	10	17	8	11
पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास	4	7	9	6	6
नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार	3	8	12	4	4
शहरी सेवा प्रदाय	5	9	15	9	10
नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था मे सुधार	2	2	4	3	3
कुल	**18**	**36**	**57**	**30**	**34**

1.4 आत्मानिर्भर मध्य प्रदेश – रोडमैप 2023 के अंतर्गत विभाग द्वारा भौतिक अधोसंरचना समूह में 5 आउट–कम अंतर्गत 18 आउट–पुट के माध्यम से कुल 36 गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विषय संबंधी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कुल 121 उप–गतिविधियों को दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक तीन वर्ष के अंतराल में पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित किया गया है।

1.5 पाँच आउट–कम में प्रमुख रूप से समावेशी शहरी विकास के अंतर्गत शहरी गरीबों के उत्थान की रोजगारमूलक योजनाओं के साथ उनके कौशल विकास को प्रमुखता से शामिल किया गया है। तीन लाख शहरी गरीबों को आवास प्रदाय एवं किराये के आवास मुहैया कराने तथा रात्रिकालीन आश्रयों के सुदृढ़ीकरण हेतु लक्ष्य रखा गया है।

1.6 पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास के अंतर्गत प्रदेश के शहरों में साफ सफाई, सीवरेज तथा वायु गुणवत्ता के विषयों को समेकित किया गया है। शहरी सुशासन की रणनीति मुख्य रूप से नियमों और अधिनियमों में व्यापक सुधार प्रस्तावित कर नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों पर केंद्रित है। इसी अनुक्रम में शहरी सेवा प्रदाय गुणवत्ता के आउट–कम के अंतर्गत सूचना प्रौधोगिकी का उपयोग कर जन सामान्य को सहज एवं पारदर्शी सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। शहरी जलप्रदाय एवं वर्षाजल निकासी के मानक मानदण्डों को प्राप्त करने तथा बस आधारित जन–परिवहन के विस्तार हेतु भी रोड–मैप में लक्षित किया गया है। विभाग द्वारा नगरीय नियोजन के अंतर्गत GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किये जाने, TOD/TDR को लागू किये जाने तथा भवन निर्माण अनुमति के साथ टाउन प्लानिंग की ई–सेवाओं के एकीकरण हेतु लक्ष्य नियत किये गये है।

1.7 अल्पकालीन लक्ष्यों के अनुरूप विभागीय क्रियान्वयन की स्थिति

1.7.1 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड–मैप 2023 के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुरूप विभाग द्वारा दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक की कालावधि में विभिन्न गतिविधियों व उप–गतिविधियों में विभाग द्वारा की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है –

1.7.1.1 पाँच आउट–कम के अंतर्गत सभी 18 आउट–पुट में कार्य प्रारम्भ किया गया है।

1.7.1.2 सभी 36 गतिविधियों पर कार्य प्रारम्भ कर 07 गतिविधियों के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण की गई है।

1.7.1.3 121 उप–गतिविधियों के विरुद्ध 95 उप–गतिविधियों पर कार्यवाही प्रारम्भ। तथा अल्पकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 29 उप–गतिविधियों में कार्य 100% पूर्ण हो गया है। 15 उप–गतिविधियों में कार्य 75–99% तक पूर्णता की ओर हैं तथा 10 उप–गतिविधियों में कार्य 50–74% प्रगति पर है। मध्यकालीन लक्ष्यों के विरुद्ध 23 उप–गतिविधियों में कार्य 25–49% पूर्ण तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 19 उप–गतिविधियों में कार्य प्रचलित है तथा शेष 25 उप–गतिविधियों पर कार्यवाही समय सीमा में प्रारम्भ की जायेगी।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये हैं।

2.3 वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर तक इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 16036.00 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

3.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है।

3.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

3.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

3.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

3.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों का गठन किया जा रहा है।

3.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

4 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी

4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अनुमोदित किया गया एवं केन्द्रीय मंत्रि–परिषद द्वारा दिनांक 03.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी हैः–

4.1.1 माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेट्रो रेल कंपनी की कार्यकारी समिति का गठन किया जा चुका है।

4.1.2 भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) द्वारा जारी परियोजनाओं की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के साथ भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

4.1.3 भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियाजनाओं के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 6941.40 करोड़ तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 7500.80 करोड़ है।

4.1.4 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कॉरीडोरों का जिनकी कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक रिंग कॉरीडोर जिसकी कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर है का अनुमोदन अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

4.1.5 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सिविल पैकेज (Viaduct Length - 6.225 किमी, लागत – रू. 247.06 करोड़) तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सिविल पैकेज (Viaduct Length - 5. 290 किमी, लागत – रू. 228.96 करोड़) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

4.1.6 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु European Investment Bank (EIB) को तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु Asian Development Bank (ADB) तथा New Development Bank (NDB) को Pose किया गया है।

4.1.7 भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु DB Engineering and Consulting GmbH in consortium with Louis Burger SAS & Geodata Engineering S.p.A. को जनरल कंसल्टेंट चयनित किया गया है।

4.1.8 भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमि. के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन दिनांक 19.08.2019 को निष्पादित किया गया।

4.1.9 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना हेतु EIB Board द्वारा दिनांक 14.11.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना हेतु NDB Board द्वारा दिनांक 02.12.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

4.1.10 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त उपक्रम के रूप में पुनः गठित दिनांक 29.12.2020 को किया गया।

4.2 भोपाल के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः—

कॉरिडोर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
Purple Line	करोंद चौराहा – भोपाल टॉकिज – रेल्वे स्टेशन – भारत टॉकिज – पुल बोगदा – सुभाष नगर अंडर पास – डी.बी. मॉल–बोर्ड ऑफिस चौराहा – हबीबगंज नाका – अल्कापुरी बस स्टेंड – एम्स	14.99	4406.57
Red Line	डिपो चौराहा–जवाहर चौक–रोशनपुरा चौराहा––मिंटो हॉल–लिली टॉकिज–जिंसी चौराहा–पुल बोगदा–प्रभात चौराहा–अप्सरा टॉकिज–गोविंदपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया–रत्नागिरी तिराहा	12.88	2534.83
	कुल	27.87	6941.40

4.3 इंदौर के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः—

कॉरिडोर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
Yellow Line	ननोद – सुपर कॉरिडोर – भंवरसाला चौराहा – एम.आर. टेन फ्लाईओवर – विजय नगर चौराहा – रेडिसन चौराहा – बंगाली चौराहा – पलासिया चौराहा – राजवाड़ा – बड़ा गणपति – कलानी नगर– एयरपोर्ट – ननोद	31.53	7500.80
	कुल	31.53	7500.80

4.4 स्वीकृति के अनुसार परियोजना का वित्त पोषण निम्नवत होगाः—

स. क्र.	परियोजना का नाम	कुल लागत	विभिन्न संस्थाओं का अंशदान/योगदान			रिमार्क
			भारत सरकार	राज्य सरकार/ MPMRCL (यथा प्रयोज्य)	बाह्य एजेंसी	
1.	भोपाल मेट्रो रेल परियोजना	रू. 6941.40 करोड़	रू. 1164.44 करोड़	रू. 1843.62 करोड़	रू. 3493.34 करोड़ (EIB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component
2.	इंदौर मेट्रो रेल परियोजना	रू. 7500.80 करोड़	रू. 1276.36 करोड़	रू. 1955.33 करोड़	रू. 3200.00 करोड़ (ADB एवं NDB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component

5 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

5.1. प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति के साथ पार्किंग नियम बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.2. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2019 बनायी गयी। उक्त नीति अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन, मोटर व्हीकल टैक्स, पार्किंग शुल्क इत्यादि में रियायत प्रदान की जायेगी।

5.3. प्रदेश के 04 जे.एन.एन.यू.आर.एम. मिशन शहरों यथा– भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन में 416 Organized City बस सेवा का संचालन किया जा रहा है।

5.4. प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में Net Cost Model अतर्गत 20 शहरों में से 15 शहरों (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सिंगरौली एवं छिंदवाड़ा) में शहरी मार्गों एवं अन्तर्शहरी मार्गों पर क्रमशः 339 एवं 323 बसों का संचालन किया जा रहा है।

5.5. प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में 03 बड़े शहरों (भोपाल, इंदौर, एवं जबलपुर) में 1685 बसों का संचालन शहरी मार्गों पर किया जाना प्रस्तावित है।

5.6. FAME-I योजनान्तर्गत इंदौर शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है एवं राज्य के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए 340 इलेक्ट्रिक बसों (इंदौर–100, भोपाल–100, जबलपुर–50, उज्जैन–50 एवं ग्वालियर–40) का संचालन किया जाना है। सफल निविदाकार का चयन किया जा चुका है, अनुबंध की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.7. प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु चार्जिंग अधोसंरचना विकास किया जा रहा है।

5.8. DUTF जारी की गई राशि के द्वारा फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, बस टर्मिनल, बस स्टेण्ड, पार्किंग, लोक परिवहन एवं यातायात को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार–प्रसार, आधुनिक तकनीकी संस्थापन जैसे– सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, जी.पी.एस., ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, फुटपॉथ निर्माण आदि कार्य किये जा रहे है।

5.9. प्रदेश के 20 शहरों में अमृत योजना अन्तर्गत बस सेवा संचालन के द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ITMS उपकरण (GPS, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सूचना के लिए पैनिक बटन इत्यादि) एवं कन्ट्रौल कमाण्ड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। यात्री बस की टिकट ऑनलाईन माध्यम से भी खरीद सकेंगे, जिसके लिए विभाग द्वारा वेबसाईट एवं मोबाईल एप बनाने का कार्य प्रस्तावित है।

5.10. नगरीय निकायों के अधीनस्थ बस स्टेण्डों पर रेलवे की भाँति बसों के आने–जाने की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है।

5.11. इन्दौर शहर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 100 ई–रिक्शा का संचालन किया जा रहा है।

5.12. वर्ष–2020 में चिन्हित 14 ब्लैक स्पॉटों के परिशोधन की कार्यवाही की गई।

6 शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' लागू की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.12.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्वि–प्रविष्टी लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	कुल 210 निकायों में संभूति आधारित द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली का कार्य पूर्ण किया जा–चुका है। 168 निकायों में कार्य प्रगति पर है। सभी 16 नगर निगम में कार्य पूर्ण।
2.	जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	1. जीआईएस आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत 103 नगरीय निकायों में कार्य पूर्ण। 206 में कार्य गतिशील है। 76 नगरीय निकायों में निविदा प्रक्रिया गतिशील है। 2. योजना अनुश्रण हेतु मैपआईटी, भोपाल की सहायता से जीओ पोर्टल तैयार किया गया है एवं संपत्ति का डाटा को अद्यतन किये जाने हेतु सतत (SATAT) मोबाईल ऐप तैयार किया गया।

7 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

7.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत अनुदान राशि प्रदान की जाती है। तद्नुसार राजस्व संग्रहण के लिये क्रमशः प्रथम पांच नगर पालिक निगम, प्रथम 10 नगर पालिका परिषद् एवं प्रथम 10 नगर परिषदों को प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किए जा रहे है।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 14474 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 21.25 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1080 प्रकरण निराकृत किये गये, जिसमें उपदान के रूप में रूपये 41.83 करोड़ का भुगतान किया गया। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 224.00 करोड़ का व्यय हुआ।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से नियमित रूप से पेंशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही दिनांक 31.12.2014 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भारतीय स्टेट बैंक की गोविंदपुरा, भोपाल स्थित केन्द्रीयकृत प्रक्रिया इकाई के माध्यम से पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना" लागू की गई है।

2.2 योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/ नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों को आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को Permanent Retirement Account Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 461 अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये एवं योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 9083 कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके Data & Fund NSDL/NPS Trust को अंतरित किये जा रहे हैं।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/ कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,00,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अंतर्गत कुल 780 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 4.62 करोड़ का भुगतान किया गया।

4. सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 उक्त योजना के अंतर्गत दिनांक 30.06.2020 तक प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया था, जिसके अंतर्गत सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रू. 1,00,000.00 सफाई कर्मचारियों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किया जाता था।

4.3 उक्त योजना को दिनांक 01.07.2020 से पुनरीक्षित किया गया है, जिसके उपरांत दिनांक 01.07.2020 से प्रति हितग्राही रूपये 240.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 720.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। अतः योजना के अंतर्गत अब सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 1,00,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रू. 2,00,000.00 सफाई कर्मचारियों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है।

4.4 वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 19 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 9.50 लाख का भुगतान किया गया।

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74वें संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिये विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान (National Institute of Governance and Urban Management - NIGUM) की स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। साथ ही संस्थान का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दिनांक 12.09.2013 को किया गया है।

1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजा भोज अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप भौंरी, जोन क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 3 नगर पालिक निगम भोपाल क्षेत्र में प्रदान की गयी है। वर्तमान में संस्थान को आवंटित की गयी भूमि पर प्रशिक्षण एवं आवासीय भवनों के निर्माण की कार्यवाही यांत्रिकी प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रचलित है।

1.3 माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2020 को संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक में विभाग के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान (NIGUM) का नाम एक महापुरूष के नाम से रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुरूप राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान (NIGUM) का नाम एक महापुरूष के नाम से रखे जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

1.4 राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, नव नियुक्त लोकसेवकों, पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले स्टेकहोल्डर्स के लिये व्यवस्थित उन्मुखीकरण, परिचयात्मक एवं आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमीनार/ कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग अनुसार किया जाता है।

1.5 वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के कारण आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किये जाने के कारण संस्थान द्वारा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

1.6 संस्थान द्वारा दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में कुल 10 ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाओं यथा – आरसीयूईएस, लखनऊ, संस्थागत वित्त, यूएसएआईडी द्वारा सहायतित प्रीमियम पार्टनर प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली एवं अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से आयोजित किये गये हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नगरीय निकायों के कुल 153 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

1.7 पूर्व वर्ष की भॉति राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा वर्ष 2021–22 के लिये विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं विषयों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लगभग 3000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

3. ई–नगर पालिका

3.1 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS) के सफल क्रियान्वयन को देखते हुये विभाग द्वारा 378 नगरीय निकायों में ERP आधारित ई–नगर पालिका एप्लीकेशन का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां कि प्रदेश की नगरीय निकायों को एक ही एप्लीकेशन पर लाया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों के द्वारा प्रदत्त समस्त नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिक मोबाईल एप के माध्यम से भी नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। इससे निकायों में नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ी है।

3.2 नगरीय निकायों की आंतरिक व्यवस्था को भी ई–नगर पालिका अंतर्गत सम्पूर्ण रूप से कम्प्युटराईज्ड किया गया है। समस्त प्रकार के भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किये जाने के प्रावधान को अनिवार्य कर, समस्त भुगतान नेटबैंकिंग द्वारा किये जाने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाकर कैशलेस अर्थव्यवस्था एवं डिजीटल इंडिया हेतु व्यापक योगदान दिया जा रहा है। समस्त निकायों में नागरिकों कों सुगमता एवं सरलता से सेवा प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन भुगतान के समस्त मोड्स एवं पीओएस मशीन की सुविधा को ई–नगरपालिका से जोड़ा गया है।

3.3 नगरीय निकायों में पारदर्शिता को बढ़ाये जाने हेतु समस्त बजट एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों को ई–नगरपालिका में एकीकृत कर, अब संचालनालय स्तर से निकायों को दी जाने वाली अनुदानों का भुगतान भी ई–नगरपालिका के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार ई–नगरपालिका बेहतर बजटिंग द्वारा कार्य कुशल ई–गवर्नेंस का अनूठा उदाहरण है।

3.4 निकाय अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के डेटा को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारीयों के मानदेय का भुगतान ई–नगरपालिका द्वारा ही किया जा रहा है।

3.5 समस्त प्रकार के सप्लाई/कार्य आदेश ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं। इसी प्रकार ठेकेदारों/वेण्डर्स को नगरीय निकायों द्वारा वैध भुगतान ऑनलाइन ई–नगरपालिका के माध्यम से हो रहा है।

4. ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS)

4.1 मध्यप्रदेश के 379 नगरीय निकायों में यूनिफार्म एवं पारदर्शी तरीके से भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु ऑटोमेंटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम लागू किया गया है। ऑटोमेंटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम के अंतर्गत निकाय कार्यालय में उपस्थित हुये बिना ही भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन ऑनलाईन स्वीकृत किये जाते हैं एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्रोसेस की जाती है यहां तक कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के समय भी मोबाईल एप द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर, सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है। अब तक कुल 161840 भवन अनुज्ञा ऑनलाईन स्वीकृत की जा चुकी है। जिसमें 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 26823 भवन अनुज्ञा ऑनलाईन स्वीकृत की जा चुकी है।

4.2 मध्यप्रदेश के 379 नगरीय निकायों में भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों अनुसार ऑनलाईन कम्पाउन्डिग (प्रशमन) लागू किया गया है। ऑनलाईन कम्पाउन्डिग प्रणाली में शुल्क भी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है एवं शुल्क भुगतान के लिए सभी ऑनलाईन भुगतान विकल्प का उपयोग किया जाता है।

4.3 ऑटोमेंटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम में नागरिक स्वयं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र पूर्णतः ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

4.4 भवन अनुज्ञा के लिए अनिवार्य दस्तावेजो की संख्या को 16 से घटाकर 5 और साइट निरीक्षण चेकलिस्ट बिंदुओं को भी 43 से घटाकर 26 कर दिया गया है।

4.5 फीस मेमो सिस्टम द्वारा स्वतः ही शुल्क जनरेट किया जाता है तथा शुल्क भुगतान हेतु समस्त प्रकार के ऑनलाईन माध्यम स्वीकार किये जाते है।

4.6 प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूमि में वास्तुकार को भवन अनुज्ञा जारी किये जाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

5. वीडियो कांफ्रेसिंग

5.1 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

6. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

6.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

6.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है। वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

7. मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग

प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग का गठन किया गया है।

8. मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल

प्रदेश के परम्परागत वस्त्र सिलाई करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल का गठन किया गया है।

9. मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल

प्रदेश के परम्परागत केश शिल्प करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल का गठन किया गया है।

10. मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल

प्रदेश के परम्परागत वस्त्र प्रक्षालन करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल का गठन किया गया है।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी जिसका मुख्यालय वर्तमान में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल में स्वयं के भवन में दिनांक 23.09.2001 से कार्यरत है । विभाग का मुख्य उद्‌देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है, एवं एक नियमित अंतराल पर उस विकास योजना का नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है । इस कार्य को संपादित करने के लिये विभाग की वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः–

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय जिसमें 7 संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 10 उप संचालक कार्यालय– होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल,खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं 11 सहायक संचालक कार्यालय– बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड, छतरपुर, झाबुआ. अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है।

1.3 अमला

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–

स.क्र	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त सह संचालक / संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	02
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4.	उप संचालक(नियोजन)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	15
5.	उप संचालक(सर्वे)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी)	02
6.	उप संचालक(रिसर्च)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	01
7.	उप संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा)	01
8.	सहायक संचालक(योजना)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	26
9.	सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे / प्रोजेक्ट में योग्यताधारी)	07
10.	सहायक संचालक (रिसर्च)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	05
11.	सहायक संचालक(स्था)	द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा)	01
12.	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01

13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
14.	संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
15.	सूचना प्रोद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर)	संविदा सेवा पर	01
16.	सहायक सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी	संविदा सेवा पर	02
17.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	45
18.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	50
19.	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	73
20	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	40
21.	वरिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	21
22.	कनिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	30
23.	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
24.	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
25.	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	26
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1 (स्टाफ आफिसर)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2 (निज सचिव)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	04
28.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (निज सहायक)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
29.	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	22
30.	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
31.	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
32.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	25
33.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	46
34.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	66
35.	स्टोर कीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
36.	कोडर / केड आपरेटर / फोटोग्राफर / मॉडलर / सहा. मॉडलर / कलाकार / नीलमुद्रक के पदो को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यटूर अपरेटर के नवीन पद	डाईंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति	41
37.	ग्रन्थपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	01
38.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी–12 संविदा पर –09	21
39.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	13
40.	प्रेसमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
41	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29

42.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–57 संविदा सेवा पर–41	98
43.	चैनमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–28 संविदा सेवा पर–06	34
44.	वाटरमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
45.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उल्लेखनीय है, कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2013 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 525 पदो के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये हैं।

1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायें

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकारी		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण	1	ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	पचमढ़ी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण	4	महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण	6	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
7	रतलाम विकास प्राधिकरण		
8	कटनी विकास प्राधिकरण		
9	अमरकंटक विकासप्राधिकरण		
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण		

2. संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व

2.1 संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

2.2 **प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना –** मध्य प्रदेश राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की प्रादेशिक विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं भोपाल केपीटल रीजन (रीजनल प्लान) 1:50,000 पर तैयार किया गया है, तथा ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन की प्रादेशिक योजना का कार्य आई.टी.पी.आई. द्वारा किया गया है । इन्दौर एग्रो रीजन की योजना तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना को योजना क्रमांक 2621–विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण के साथ समाहित किया गया है ।

2.3 **नगर विकास योजना तैयार करना** – राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 97 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिसमें से 88 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं।

क्र	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1	इंदौर	10-06-1974	01-03-1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19-11-1974	25-08-1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
3	उज्जैन	20-05-1975	28-10-1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / धार्मिक
4	खजुराहो	26-10-1975	11-10-1977	नगर पंचायत	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26-08-1977	28-09-1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09-03-1979	21-10-1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / पर्यटक
7	देवास	04-09-1979	10-03-1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
8	शिवपुरी	25-04-1987	05-.08-1988	नगर पालिका	2001	जिला मुख्यालय / पर्यटक
9	चंदेरी	27-06-1987	24-01-1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक / हतकरघा औघोगिक
10	रतलाम	24-06-1985	28-05-1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
11	रीवा	28-03-1987	27-11-1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय
12	सतना	29-08-1986	18-04-1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय / औघोगिक
13	बुरहानपुर	26-02-1993	08-06-.1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय / हथ करघा औघोगिक
14	नव हरसूद	23-01-1995	14-02-1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04-07-1994	19-03-1998	नगर पालिका	2005	जिला मुख्यालय
16	चित्रकूट	06-.09-1994	03-08-1998	नगर पंचायत	2005	पवित्र / धार्मिक
17	बीना	15-04-1999	14-01-2000	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय / औघोगिक
18	सागर	05-06.1999	03-03-2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01-11-1999	11-07-2000	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
20	नीमच	25-10-1999	05-07-2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21-10-1999	17-05-2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22-10-1999	24-04-2000	साडा	2011	साडा

23	इटारसी	22-02-2000	09-03-2001	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29-02-2000	09-03-2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18-09-2000	31-08-2001	नगरपालिका	2011	पवित्र/धार्मिक
26	मांडव	24-01-2001	02-11-2001	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14-02-2001	09-08-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22-01-2001	05-12-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
29	खरगौन	16-03-2002	05-12-2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25-03-2002	16-12-2002	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21-01-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29-09-2002	12-05-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
33	पाण्ढुर्ना	21-01-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
34	गुना	29-03-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05-05-2003	10-10-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04-09-2003	28-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
38	टीकमगढ़	28-02-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23-06-2004	28-01-2005	नगरपालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06-07-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20-08-2004	20-05-2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
42	अमरकंटक	30-10-2004	20-05-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
43	बैतूल	10-12-2004	30-08-2005	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22-03-2005	12-09-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
45	होशंगाबाद	27-04-2005	03-02-2006	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29-06-2005	26-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06-09-2005	12-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18-11-2005	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर/ धार्मिक
49.	राजगढ़	16.01.2006	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
51.	मण्डला	31-05-2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्रनगर
52.	ओरछा	03-08-2002	18-05-2007	नगर पंचायत	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25-09-2006	17-09-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15-02-2007	17-09-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30-06-2007	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
56	अलीराजपुर	30-08-2007	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05-01-2008	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21-01-2008	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
59.	मुरैना	28-03-2008	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
60.	हरदा	27-03-2006	08-10-2008	नगरपालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29-07-2006	08-10-2008	नगर पंचायत	2011	तहसील

62.	सिवनी	14-08-2007	08-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
63.	कटनी	31-03-2006	19-06-2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
64.	अनूपपुर	05-09-2008	27-06-2009	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
65.	नरसिंहपुर	29-07-2006	30-03-2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
66.	श्योपुर	22-07-2008	16-04-2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
67.	धार	12-01-2009	16-04-2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
68.	डबरा	07-07-2009	16-04-2010	नगरपालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69.	मुलताई	12-10-2009	04-03-2011	नगरपालिका	2021	तहसील/ पवित्र नगरी
70.	गोहद	08-03-2013	19-09-2013-	नगर पालिका	2031	तहसील
71.	गंजबासौदा	10-05-2013	20-06-2014	नगर पालिका	2031	तहसील
72.	पिपरिया	11-08-2011	01-08-2014	नगरपालिका	2021	तहसील
73.	शुजालपुर	22.02.2014	27-02-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
74.	सेंधवा	22-10-2011	16-03-2015	नगरपालिका	2021	तहसील
75.	रामपुर बाघेलान	30-03-2012	26-08-2015	नगर परिषद	2021	तहसील
76.	खुरई	22-010-2009	12-02-2016	नगरपालिका	2021	तहसील
77.	भेड़ाघाट	15-09-2011	16-09-2016	नगर पंचायत	2021	तहसील
78.	बांधवगढ	17-09-2012	16-09-2016	नगर पंचायत	2031	पर्यटक स्थल
79.	हनुवंतिया	21-04-2016	08-12-2016-	नगर पंचायत	2035	पर्यटक
80.	आगर मालवा	29-01-2015	27-03-2017	नगर पंचायत	2041	जिला मुख्यालय
81.	चाकघाट	08-02-2012	18-08-2017	नगर पंचायत	2021	तहसील
82.	सलकनपुर	23-12-2011	22-09-2017	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर
83.	मण्डीदीप	24-05-2013	27-07-2017	नगर पालिका	2031	औद्योगिक
84.	नागदा	10-10-2011	22-06-2018	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
85	आलोट	30-03-2012	21-09-2018	नगर पंचायत	2031	तहसील
86	सिरोंज	30-03-2017	9-02-2018	नगर पालिका	2031	तहसील
87.	कुक्षी	30-03-2012	22-06-2018	नगर परिषद	2031	तहसील
88.	आमला	22-03-2012	12-10-2018	नगर पालिका	2021	तहसील
89.	नौगांव	11-02-2010	—	नगर पालिका	2021	तहसील
90.	गरौठ	10-08-2011	—	नगर पंचायत	2021	तहसील
91.	मढई	05-10-2011	—	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
92.	सौसर	23-12-2011	—	नगर पालिका	2021	तहसील
93	पचमढी	11-08-1998	पुनःप्रकाशन किया जाना है	साडा	2011	पर्यटक
94.	आष्ट्रा	30-08-2006	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
95.	नरसिंहगढ	29-09-2006	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
96	डिण्डोरी	31-07-2009	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
97	ब्यावरा	22-12-2011	पुनःप्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील

2.4 पुनरीक्षित विकास योजना – इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत 50 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 33 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है –

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1.	भोपाल	17-10-1994	09-06-1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04- 03-1994	05-06-1995	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29-10-1995	19-03-1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29-12-1995	08-12-1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
5.	देवास	18-03-2002	17-12-2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
6.	उज्जैन	13-08-2005	06-06-2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्र नगर
7.	इंदौर	13-07-2006	01-01-2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09-02-2007	01-10-2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21-01-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30-06-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
11.	बुरहानपुर	02-07-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	रतलाम	22-10-2009	14-06-2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
13.	ग्वालियर	12-08-2011	12-09-2014	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय पर्यटक
14	बीना	02-12-2011	**पुर्नप्रकाशन किया जाना है ।**		2021	औद्योगिक
15.	विदिशा	25-01-2012	22-06-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
16.	खण्डवा	05-09-2012	11-11-2016	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
17.	देवास	09-10-2012	17-08-2018	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
18.	बैतूल	13-01-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
19.	दमोह	15-03-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
20.	होशंगाबाद	14-06-2013	20-06-2014	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय एवं धार्मिक नगर
21.	गुना	28-02-2014	24-03-.2018	नगर पालिका	2031	गुना
22.	मैहर	28-02-2014	16-03-2015	नगर पालिका	2031	धार्मिक नगर
23.	सिंगरौली	21-02-2014	27-03-2015	विकास प्राधिकरण	2031	औद्योगिक
24.	शहडोल	28-01-2014	31-03-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
25.	नीमच	07-02-2014	27-03-2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय

26.	सीहोर	28-06-2014	11-11-2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
27.	सागर	28-02-2014	28-07-2017	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
28.	इटारसी	05-03-2015	28-10-2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
29.	हरदा	27-08-2015	22-06-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
30.	ओकारेश्वर	30-09-2016	02-05-2017	नगर पंचायत	2021	धार्मिक नगर
31.	टीकमगढ	28-12-2016	08-09-2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
32.	पाण्डुर्ना	28-12-2016	30-10-2020	नगर पालिका	2031	तहसील
33.	भिण्ड	23-03-2017	13-07-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
34.	माण्डव	17-02-2017	**पुर्नप्रकाशन किया जाना है ।**	नगर परिषद	2031	पर्यटक नगर
35.	चन्देरी	27-02-2017	–	नगर पालिका	2031	पर्यटक / हथकरघा उद्योग
36.	शिवपुरी	18-01-2021	—	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय / पर्यटक
37.	छिन्दवाड़ा	31-05-2017	**पुर्नप्रकाशन किया जाना है ।**	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
38.	जावरा	22-07-2017	–	नगर पालिका	2031	तहसील
39.	दतिया	02-02-2018	12-10-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
40.	राजगढ	26-03-2018		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
41.	खरगौन	21-01-2019		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
42.	ओकारेश्वर	01-10-2019		नगर परिषद	2031	अमृत नगर
43.	खजुराहो	01-11-2019		नगर परिषद	2031	पर्यटक नगर
44.	डबरा	28-02-2020		नगर पालिका	2031	अमृत नगर(तहसील)
45.	भोपाल	06-03-2020		नगर परिषद	2031	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
46.	बुरहानपुर	11-12-2020		नगर निगम	2031	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
47.	मंदसौर	11-12-2020		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
48.	भिण्ड	11-12-2020		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
49.	शिवपुरी	11-12-2020		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
50.	बैतूल	11-12-2020		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)

3. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व

3.1 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।

3.2 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

3.3 नव गठित विकास प्राधिकरणों को स्वीकृत अनुदान की राशि को मुक्त कर उपयोगिता प्रमाण पत्रों की शासन एवं महालेखाकार, ग्वालियर को भेजना।

3.4 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं भूमि विकास नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन संस्थाओं से अनाधिकृत विकास पर नियंत्रण करवाना।

4. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना । संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके । भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है।

4.1 विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं ।

4.2 बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in / www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है।

4.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

क्रमांक	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1	निवेश क्षेत्र का गठन	160
2	भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	105
3	विकास येाजना प्रकाशित/प्रभावशील	97/88
4	जिला मुख्यालय नगर/विकास योजना प्रकाशित	52/51
5	पुनरिक्षित विकास योजना प्रकाशित/प्रभावशील	50/33
6	मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील	145
7	नगर विकास प्राधिकरण	10
8	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	6

4.4 नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 97 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 77 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

4.5 भारत सरकार की अमृत योजना के उपयोग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के 34 अमृत नगरों की जी.आई. एस. आधारित विकास योजना तैयार की जा रही है ।

भाग – दो

1. बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2019–20	233.00	88.22

भाग – तीन

1. राज्य प्रवर्तित योजना : विगत तीन वर्षो की उपलब्धि

क्र	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	2621 विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण	2018–19	12 नगर	1 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित 3 नगरों की योजना प्रगति पर 5 नगरों की विकास योजना शासन से अनुमोदित	259.00	118.00 व्यय कम होने का मुख्य करण यह रहा है कि इस योजना में योजना क्रमांक 6754 को भी समाहित किया गया है जिसकी राशि विभाग
		2019–20 8 कार्या. /8 नगर (31 दिसम्बर 2019 तक)	12 नगर	1 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित। 9 नगरों की योजना अंतिम चरण में है ।	233.00	88.22 लाख (इस योजना में स्टेशनी मद में आवंटित 97 लाख को व्यवसायिक मद में पुनर्विनियोजन नही होने के कारण ब्यय में
		2020–21 6 नगर (31 दिसम्बर 2020 तक)	12 नगर	6 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित। 8 नगरों की योजना अंतिम चरण में है प्रारूप प्रकाशन हेतु तैयार।	246.00	139.00 लाख वित्तीय वर्ष 2020–21 कोविड–19 से प्रभावित होने के कारण व्यय में कमी आई है।)

	अमृत योजना के अन्तर्गत 34 नगरों के जी.आई.एस. वेस मास्टर प्लान तैयार करना	वित्तीय वर्ष 2020–21 में 34 नगरों की जी.आई. एस. वेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य अंतिम चरण में	34 नगर	एन.आर.एस.सी हैदराबाद द्वारा 34 नगरों का जी. डी.बी. / सेटेलाईट इमेज प्राप्त हो गयी है जिसमें से 34 नगरों के जी.डी. बी. / सेटेलाईट इमेज का भौतिक सत्यापन एवं पुनरीक्षण कर एन.आर. एस.सी., हैदराबाद को प्रेषित किया जा चुका है । 29 नगरों के फाईनल बेसमैप एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त हो गये है जिसमें से 7 नगरों यथा–डबरा, भोपाल, बुरहानपुर, मंदसौर, भिण्ड, शिवपुरी एवं बैतूल की प्रारूप विकास योजना अमृत योजना की मार्गदर्शिका में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार तैयार प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है तथा 8 नगरों– सिंगरौली, गुना, दतिया, नागदा, होशंगाबाद, दमोह, उज्जैन एवं छतरपुर विकास योजना प्रकाशन हेतु तैयार है एवं खरगौन रतलाम, सवनी, सतना एवं नीमच की योजनाऐं अंतिम चरण में हैं ।	3,50,82,775 लाख	3,50,67,775 लाख

टीपः– सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना हेतु शासन द्वारा म0प्र0 विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया हैं। राज्य नगर नियोजन संस्था (सिटोप) द्वारा 4 नगरों की बेव बेस्ड जी आई एस एप्लीकेशन तैयार की जाकर प्रचलन में है। इसके साथ ही आम जनता की सुविधा को देखते हुए सायबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑन लाईन शुल्क जमा कराया जाकर सभी अनुमतियॉ ऑन लाईन जमा करने के साफ्टवेयर विकसित किये गये हैं।

Geo t&cp साईट पर वर्तमान में 16 नगरों (आमला, गंजबासौदा, गुना, गोहद, दमोह, नागदा, नीमच, बैतूल, बांधवगढ, भेड़ाघाट, मैहर, शुजालपुर, शहडोल, सेंधवा, होशंगाबाद एवं इटारसी) में ऑनलाईन भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र प्रदान करने की व्यवस्था प्रचलन में है ।

2. वर्ष 2020–2021 (31 दिसम्बर 2020 तक) की उपलब्धियॉ

भौतिक उपलब्धियॉ

(अ)	प्रारूप विकास योजना प्रकाशित (7 नगर)	1. डबरा 2. भोपाल 3 बुरहानपुर 4. मंदसौर 5. भिण्ड 6. शिवपुरी 7. बैतूल
(ब)	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन तैयार (8 नगर)	1. सिंगरौली 2. गुना 3. दतिया 4. होशंगाबाद 5. नागदा 6. दमोह 7. छतरपुर 8. उज्जैन

भाग – चार

1 न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2020 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 36 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये जिसमें सभी प्रकरणो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये, तथा 6 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

1.1 प्रशासकीय गतिविधियॉ

(अ) वित्तीय वर्ष 2020–21 में चौकीदार के पद पर एक कर्मचारी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।

(ब) कुल स्वीकृत 836 पदों के विरूद्ध 434 पद भरे हुए है जिसमें 402 पद रिक्त है।

1.2 विधायी से संबंधित कार्यकलाप

1.2.1 विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

1.2.2 इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

1.2.3 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम नियम /नियम में संशोधन

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम 2020 के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।

1. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 की धारा 16 के उपनियम 11 में खण्ड (ग) में (नजूल एन.ओ.सी.) में संशोधन किया गया है।
2. म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15, 19 एवं 20 में सशोधन किया गया।
3. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2,16,26 एवं 87 (अग्निशमन इंजीनियर फार एन.ओ.सी.) में सशोधन किया गया।
4. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2,16,26 एवं 83 (लिफ्ट इंजीनियर) में सशोधन किया गया।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 गया।
6. स्थल की उप विविधा बनाने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित।

भाग – पांच

1. प्रकाशन

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

भाग – छः

1. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं । कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 92 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 22 प्रतिशत है।

भाग – सात

1. सारांश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 160 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 105 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है। 97 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 88 विकास योजनाएं अंगीकृत है। 50 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 33 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है। वर्तमान में भारत सरकार की अमृत योजना की उपयोजना में प्रदेश के 34 अमृत शहरों के GIS आधारित विकास योजना (नवीन/पुनरीक्षित) में से 29 नगरों के बेसमैप एन.आर.एस.सी. हैदाराबाद से प्राप्त हो गये है जिसमें से 7 नगरों की अमृत विकास योजना तैयार कर प्रारूप प्रकाशित किये जा चुके है एवं 8 अमृत नगरों की विकास योजना का प्रारूप मुद्रण हेतु भेजे जा चुके है इसके साथ ही 5 अमृत नगरों की विकास योजना प्रकाशन हेतु अंतिम चरण में है।

———

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग – एक

संरचना

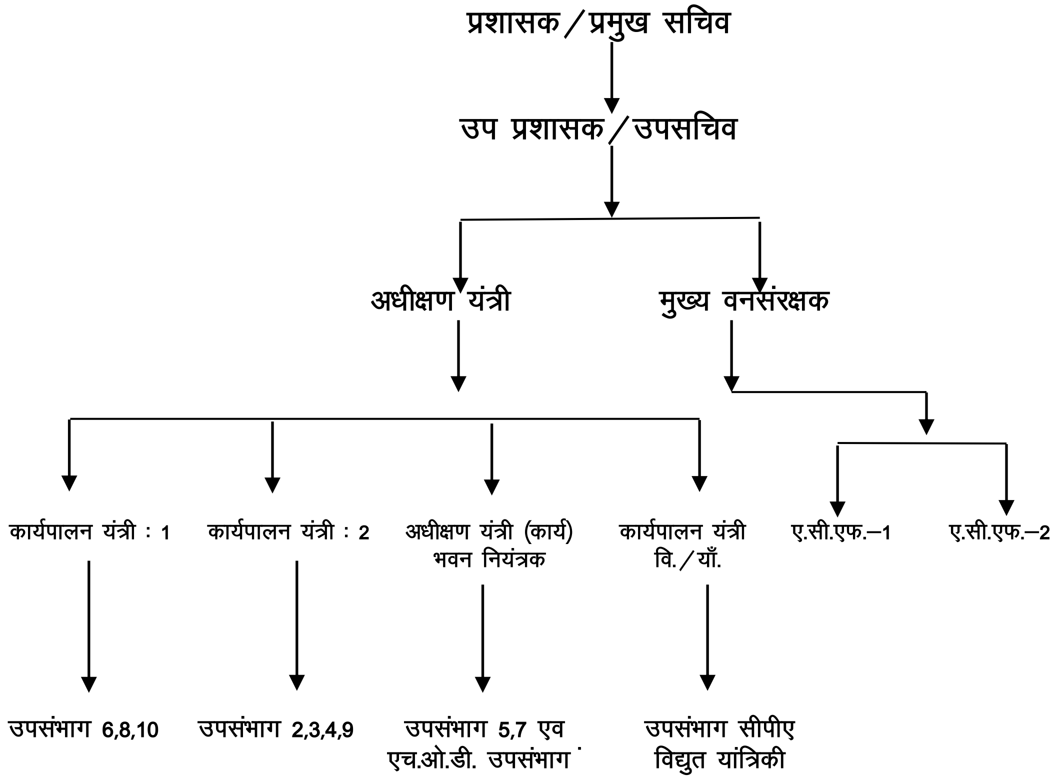

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10-11 गुना बढ चुका है। और क्षेत्रफल/विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12-14 गुना बढ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवन/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य। उस समय जितना प्रारम्भिक कार्य आवश्यक था उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10-15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैः—

1. **मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना**

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख—रखाव संबधी कार्यों के साथ ही बाग— बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विद्युतीकरण संबधी अनकों कार्य किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, एक अधीक्षण यंत्री (कार्य) विधान सभा के लिए तीन कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधीनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2. **वनमण्डल राजधानी परियोजना**

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21-02-1986 को निम्नलिखित उदेद्श्यों हेतु किया गया। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीले होने के कारण यहां की भूमि को बड़े ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस—पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा—भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख—रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवंछिनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि के अवैध उत्खन्न एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस—पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू—संरचना उपायों से रोकना। शहरवासियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो इस हेतु 12 पार्क एवं नगरवन संचालित है जिनका बेहतर प्रबंधन एवं संधारण किया जा रहा है।

भाग — 2

बजट प्रावधान—लक्ष्य व्यय (पूंजी अनुभाग)

राशि रू लाख में

क्र	योजना का नाम	2018-2019		2019-2020		2020-2021	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 02/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	1000.00	0.00	1500.00	0.00	1000.00	0.00
2	0284 अरिहायसी भवन	300.00	283.13	500.00	35.13	550.00	0.00
3	3763 रिहायसी भवन	1.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4	4339 सड़क एवं पुल	2832.00	2799.03	1900.00	1255.92	1900.00	1021.82
5	1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि	700.00	697.19	700.00	349.00	660.00	331.54
6	5872-64 वार मेमोरियल का निर्माण (सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन)	234.44	234.44	0.01	0.00	0.01	0.00
7	3296-63 मशीन एवं संयंत्र	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
8	7218-मंत्रालय का विस्तार	19359.00	19358.99	1575.00	1016.16	1500.00	487.23

क्र	योजना का नाम	2018-2019		2019-2020		2020-2021	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 02/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9	7715-नवीन विधायक विश्राम गृहों में (बृहत निमार्ण कार्य)	0.00	0.00	2500.00	0.00	150.00	70.00
10	22/4216-6989-विधान सभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत (वृहद निर्माण कार्य)	-	-	-	-	300.00	12.14
11	22/4216-5458-शहर का आधुनिकीकरण एवं उन्नयनीकरण (वृहद निर्माण कार्य)	-	-	-	-	0.01	0.00
12	6793-लोकायुक्त कार्यालय का निर्माण (61, 64) 1,1	-	-	-	-	0.02	0.00

भाग – तीन

अ. राज्य योजनायें

(1) वर्ष 2020–21

मांग संख्या 22 शीर्ष 4217 पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु वर्ष 2020–21 के लिये रुपये 15028.47 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित है।

(2) संचालित कार्य

1. मध्यप्रदेश विधानसभा के परिसर में विधायक विश्राम गृह क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय स्टाफ हेतु 40 स्टाफ क्वाटर्स (20 'एच' एवं 20 'आई' टाईप) का निर्माण कार्य।
2. विंध्याचल भवन स्थित विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आंतरिक नवीनीकरण कार्य।
3. विधायक विश्राम गृह परिसर में नवीन रेस्टॉरेन्ट का निर्माण कार्य।
4. विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृहों का नियमित संधारण कार्य।
5. विधानसभा सचिवालय एवं विधायक विश्राम गृहों में विधानसभा सचिवालय के निर्देशानुसार तथा प्रदान की गई अनुमति/सहमति के आधार पर विभिन्न सिविल/विद्युत संबंधी कार्य।
6. मन्दाकिनी शिर्डीपुरम से दानिशकुंज चौराहे तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य।
7. कोलार रोड से मंदाकिनी, शिर्डीपुरम एवं चारबत्ती चौराहे होते हुये हिनोतिया आलम तक मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 4.50 कि.मी.)
8. ऋषिपुरम फेस–1 से विवेकानन्द विद्यापीठ, भेल मास्टर प्लान मार्ग पर आ रहे 11 के.वी.एवं 33 के.वी.विद्युत लाईन का शिफ्टिंग कार्य।
9. सोनागिरी से रजत नगर भेल होते हुए अयोध्या बायपास तक मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 1200मी.)
10. इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांधी नगर के समीप प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग–12 से बायपास को जोड़ने वाले लिंक रोड (आदर्श मार्ग) का निर्माण कार्य। (लम्बाई 760मी.)

11. विन्ध्याचल भवन स्थित विधि और विधायी कार्य विभाग का आंतरिक नवीनीकरण कार्य.।

12. महात्मागांधी चौराहे से अवधपुरी तक टू–लेन मार्ग का डामरीकरण कार्य.।

13. सेवाए काम्प्लेक्स से ईश्वर नगर (दानापानी) तक 24.00 मी0 मास्टर प्लान मार्ग में स्लेब कलवर्ट एवं सरफेज ड्रेन का निर्माण कार्य.।

14. बागमुगालिया मार्ग में कॉरपोरेशन बैंक के समीप बॉक्स कलवर्ट, ड्रेन एवं सी.सी.शोल्डर का कार्य।

15. मार्गो का चौड़ीकरण एवं लेफ्ट टर्न सुधार का कार्य।

16. चार इमली वार्ड क्रमांक–46 में पार्क का विकास कार्य।

17. 5 नंबर शापिंग काम्प्लेक्स से 6 नंबर स्टॉप तक नाले की दीवार का निर्माण कार्य.।

18. सिंधु भवन से 6 नंबर स्टॉप तक नाले का निर्माण कार्य।

(3) नवीन कार्य

1. दानापानी ढाबा बावड़िया कला से मिसरोद तक फेस–1 में 60 मी. चौड़ी सड़क का निर्माण। (राशि रू. 590.00 लाख)

2. गुजराती कॉलोनी से मिसरोद तक मास्टर प्लान रोड का निर्माण। (राशि रू. 290.00 लाख)

3. अयोध्या नगर भोपाल के क्रेशर बस्ती में सी.सी.रोड का निर्माण कार्य। (राशि रू. 96.06 लाख)

4. दामखेड़ा से लेकर चीचली गाँव तक सड़क का निर्माण कार्य। (राशि रू. 557.31लाख)

5. चार बत्ती चौराहे से हिनोतिया आलम केम्फोर्ट स्कूल बॉसखेड़ी सौम्या ग्रीन होते हुए मार्ग का सौन्दर्यीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य। (राशि रू. 923.39 लाख)

6. कोलार क्षेत्र में फोर लेन मास्टर प्लान रोड में नाले के ऊपर बॉक्स कल्वर्ट एवं स्लेब कल्वर्ट का निर्माण कार्य शिर्डीपुरम कोलार भोपाल। (राशि रू. 76.18 लाख)

7. एम.जी.एम. स्कूल खजूरी कलां बायपास तक मास्टर प्लान सडक का निर्माण। (राशि रू. 939.55 लाख)

8. वीर सावरकर कोटरा सुल्तानाबाद पार्क का निर्माण कार्य। (राशि रू. 39.94 लाख)

9. बोरवन बैरागढ़ में वृक्षारोपण क्षेत्र में वेल्डेड वायरमेश चैनलिंग फेन्सिंग कार्य। (राशि रू. 69.35 लाख)

10. मोरवन पहाड़ी में वृक्षारोपण क्षेत्र में वायरमेश चैनलिंग फेन्सिंग कार्य। (राशि रू. 108.08 लाख)

11. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एम.ए.एन.आई.टी. की तरफ अतिक्रमण रोकने हेतु बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य। (राशि रू. 38.50 लाख)

12. एकता उद्यान पार्क साकेत नगर में बैंच झुला वाटर स्टोरेज, सौन्दर्यीकरण एवं रख–रखाव का कार्य। (राशि रू. 34.50 लाख)

13. बरई कटारा भोपाल में प्रस्तावित पार्क में प.दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति प्रदाय एवं स्थापना सहित अन्य विकास कार्य। (राशि रू. 56.99 लाख)

14. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में स्कटिंग रिंग के पहुँच मार्ग हेतु नाले पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण कार्य। (राशि रू. 33.83 लाख)

15. स्वर्ण जयन्ती पार्क के समीप कलिया सोत नदी के डाऊन स्ट्रीम तरफ प्रोटेक्शन वॉल एवं पार्किंग कार्य। (राशि रू. 43.28 लाख)

16. वार्ड ऑफिस 83 अकबरपुर बंजारी कोलार रोड पर खुली भूमि पर पार्क का विकास कार्य। (राशि रू. 33.25 लाख)

17. बंजारी डी सेक्टर कोलार रोड स्थित पार्क का मरम्मत एवं सुधार कार्य। (राशि रू. 10.63 लाख) स्थाई वित्त समिति

18. बावड़ियाकलां क्षेत्र में स्कूल के सामने पार्क का निर्माण। (राशि रू. 21.13 लाख) स्थाई वित्त समिति

19. कोलार मुख्य मार्ग से दशहरा मैदान होते हुए कान्हा कुंज तक कोर्डिनेशन मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य। (राशि रू. 188.67 लाख) स्थाई वित्त समिति

20. कृष्णा आर्केड से संत आशाराम नगर तक 24 मी. चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (राशि रू. 304.89 लाख) स्थाई वित्त समिति

21. झुलेलाल मार्केट गाँधी नगर भोपाल में ओव्हरहेड टैंक के पास सीमेन्ट कॉक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (राशि रू. 91.19 लाख)

22. बागमुगालिया मुख्य मार्ग से एम्स को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक) (राशि रू. 76.69 लाख)

23. जे.के.अस्पताल के समीप कोलार से दानिश पुल होते हुए इण्डस चौराहे तक मास्टर प्लान सड़क को जोड़ने वाली 24 मी. सड़क का निर्माण कार्य। (राशि रू. 244.67 लाख)

24. जे.के.अस्पताल के समीप चौराहे का विकास कार्य सीमेन्ट कॉक्रीट कार्य एवं विविध सिविल कार्य कराने बाबत्। (राशि रू. 141.50 लाख)

25. कोलार रोड स्थित विभिन्न मार्गों पर विद्युतीकरण कार्य (स्ट्रीट लाईट) स्थापना हेतु प्राक्कलन राशि रू. 244.93 लाख

26. बाग सेवनिया से रेत बाजार तक मार्ग का नवीनीकरण का कार्य.।

27. मंत्रालय वल्लभ भवन के उन्नयनीकरण का कार्य।

28. स्व.श्री एम.एन. बूच की स्मृति में कोलार रोड स्थित पार्क का निर्माण कार्य।

29. गौरा गाँव से डी.पी.एस.तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

30. हरदेव अस्पताल से सीहोर नाके को जोड़ने हेतु एक बायपास मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

31. अयोध्या नगर फेस–5 से अरहेड़ी तक सड़क का निर्माण।

32. पारस सिटी के समीप अण्डरब्रिज–दाना पानी मार्ग में पुलिया के निर्माण सहित उन्नयनीकरण का कार्य।

33. नेहरू नगर स्थित मदर टेरेसा आश्रम के समीप रोड़ साईड में सी.सी. पेविंग ब्लॉक एवं पुलिस लाईन ग्राउंड के समीप नाली एवं जाली लगाने का कार्य.।

34. विधायक विश्राम गृह परिसर में माननीय सदस्यों हेतु सर्वसुविधा युक्त नवीन विधायक विश्राम गृह के रूप में 102 नवीन आवास गृहों का निर्माण कार्य।

(4) वनमण्डल राजधानी परियोजना के कार्य वर्ष 2020–21

1. मांग संख्या 22 शीर्ष 2217-1021 क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण अनुरक्षण कार्य (राजस्व अनुभाग) एवं 22-4217-1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण (पूंजी अनुभाग) तथा 3054-7320 सडकों का रख–रखाव (राजस्व अनुभाग) मद में कार्य प्रस्तावित है।

(i) वर्ष 2020-21 में 47850 पौधों का रोपण/रख–रखाव, के साथ ही वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक 191110 पौधों का रख–रखाव 12 पार्क एवं नगरवन का संधारण, 4 नग वन रोपणियों का संधारण।

(ii) वर्ष 2020-21 में उक्त कार्यों हेतु रू. 5,70,00,000.00 का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध माह जनवरी 2021 तक रू. 2,90,17,997.00 का व्यय हुआ है।

(iii) भोपाल शहर की हरित भूमि (ग्रीन बेल्ट) के अतिक्रमण मुक्त रखना।

राजधानी परियोजना वनमण्डल भोपाल द्वारा स्वर्णजयंती पार्क, जम्बूरी मैदान नगरवन, नयापुरा टेकरी नगरवन, बोरवन नगरवन श्री गुरूगोविंद सिंह पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क, भोपाल विहार नगरवन, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क, शाहपुरा नगरवन इत्यादि के संधारण का कार्य किया जाता है जहां पर शहरवासियों द्वारा प्रातः एवं सांय भ्रमण करते हैं तथा शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुंदर तथा हराभरा किया गया है।

ब.	**केन्द्र प्रवर्तित योजना :**	–	निरंक
स.	**विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :**	–	निरंक
द.	**विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं :**	–	निरंक
ई.	**अन्य योजनाऐं**	–	निरंक

भाग – चार

(1) सामान्य प्रशासनिक विषय

1.	विभागीय पदोन्नति	–	सहायक मानचित्रकार से 01 उपयंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई
2.	नियुक्ति	–	तीन पदों की पूर्ति तृतीय संवर्ग में हुई है।
3.	विभागीय जांच	–	– निरंक –
4.	न्यायालयीन प्रकरण	–	राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब –दावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

भाग – पाँच

(1) अभिनव योजना

माननीय विधान सभा सदस्यों हेतु नवीन विश्राम गृह का निर्माण कार्य विधायक विश्रामगृह के खण्ड क्रं. 1 एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़कर इससे रिक्त स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 102 आवासीय इकाईयों का निर्माण होगा एवं यह समस्त आवास गृह आधुनिक आवश्यकतानुसार निर्मित किए जायेंगे तथा वर्तमान समयक अनुसार सुसज्जित किए जायेंगे इस कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रिया में हैं। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 30 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

भाग – छः

– निरंक –

भाग – सात

(1) महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भाग – आठ

(1) सारांश

1. राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, लोकायुक्त भवन कार्यालय शौर्य स्मारक मंत्रालय वल्लभ भवन का विस्तार कार्य इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबधी कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरुप आवश्यकताओं के अनुसार कई सडकों का निर्माण/चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा हैं। वर्तमान में हस्तांतरणीय विकास अधिकार प्रमाण पत्र (टी.डी.आर.) के आधार पर लगभग 17.00 कि.मी.मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित है, जिसका शासन एवं ग्राम एवं नगर निवेश विभाग से अनुमोदन हो चुका है तथा 2.5 कि.मी. सड़क इसी माध्यम (टी.डी.आर.) से निर्माण का स्थाई वित्त समिति में अनुमोदित किया गया है, इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भविष्य में राजधानी परियोजना वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है जैसे श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने में भी राजधानी परियोजना प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है।

———————

राज्य नगर नियोजन संस्थान (सिटॉप)

STATE INSTITUTE FOR TOWN PLANNING, BHOPAL (SITOP)

भाग–एक

1. विभागीय संरचना

अध्यक्ष	–	श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
महानिदेशक	–	श्री नितेश व्यास, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
कार्यपालन संचालक	–	श्री अजीत कुमार, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

2. अधीनस्थ कार्यालय – निरंक

3. विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण – निरंक

4. सदस्य संस्थाऐं – प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –10 विकास प्राधिकरण – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 06–विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा, महेश्वर मण्डलेश्वर एवं चित्रकूट सदस्य संस्थायें तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।

5. उद्देश्य एवं लक्ष्य

5.1. मध्यप्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।

5.2. विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित क्रियान्वयन विषयों में योजनाए तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता

5.3. विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना, जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाऐं प्रदान करना।

5.4. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 क (1) (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसायें नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

5.5. धारा 16 अंतर्गत भोपाल के सभी प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसायें नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

5.6. डाटाबेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई–सुशासन।

5.7. मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षैत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण ।

5.8. पुनर्सघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण।

5.9. विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही नगर विकास योजना के क्रियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन का अध्ययन।

5.10. इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम आयोजन करना– (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।

5.11. समय–समय पर सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देश्य से न्यूजलेटर जारी करना।

5.12. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल–जोल विकसित करना।

5.13. तत्कालीन मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना।

5.14. ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए, का निष्पादन करना।

5.15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।

5.16. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु प्लान तैयार करना

5.17. विभिन्न संस्थाओं के कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों के माध्यम से करवाना।

6. साधारण सभा

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल हैं।

7. कार्यकारिणी समिति

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यों के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं महानिदेशक, राज्य नगर नियोजन संस्थान हैं। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं।

8. विभाग से संबंधित जानकारी

राज्य नगर नियोजन संस्थान प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यो में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने में तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित करना।

9. सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (पूर्व नाम म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ) द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। साथ ही संस्थान में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती है।

(ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.10 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया संस्थान द्वारा 04 नगरों हेतु जी.आई. एस. आधारित एप्लीकेशन को ऑनलाईन तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(स) म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3/75/2013/32 दिनांक 05.07.2013 द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान को धारा–16 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण हेतु आदेशित किया गया है।

भाग–दो

1. बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत

1.1 राज्य राज्य नगर नियोजन संस्थान की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/बजट परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त परीक्षण शुल्क ही है। शासन से संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।

2. बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एवं अंकेक्षण

2.1 वर्ष 2019–20 के अनुमानित आय तथा व्यय क्रमशः रू. 875.96 लाख व रू. 875.90 लाख के विरूद्ध वास्तविक आय तथा व्यय क्रमशः रू. 676.69 लाख व रू. 642.26 लाख हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुमानित आय तथा व्यय क्रमशः रू. 1769.31 लाख व रू. 1645.39 प्रस्तावित हैं।

2.2 राज्य नगर नियोजन संस्थान के वर्ष 2019–20 तक के आय तथा व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है।

3. संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

4. स्वीकृत सेटअप

4.1 राज्य नगर नियोजन संस्थान के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत थे, जिसमें से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2073 दिनांक 20.09.2002 द्वारा 20 पद सुपरन्यूमरी घोषित किये जाने के कारण वर्तमान समय तक 15 पद रिक्त होने के उपरांत समाप्त हो चुके हैं।

4.2 वर्तमान स्थिति में स्वीकृत सेटअप में से 65 पदों के विरूद्ध 57 पद भरे हुये हैं तथा 08 पद रिक्त हैं। 05 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा 05 कर्मचारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय/अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। संस्थान में 06 अधिकारी/कर्मचारी संविदा/प्रोजेक्ट बेस अनुबंध आधार पर अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है।

भाग–तीन

(अ) राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

1 राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा इन योजनाओं में से वर्तमान में आई.डी.एस.एम.टी. योजना (आवर्ती कोष) एवं सूचना प्रौद्योगिकी योजना का संचालन किया जा रहा है।

2 छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाएँ जिनकी स्वीकृत लागत रू.14370.49 लाख है, का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3 इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या हैः– (1) चंबल संभाग –3 नगर, (2) ग्वालियर संभाग –6 नगर, (3) उज्जैन संभाग – 16 नगर, (4) इंदौर संभाग – 9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग –2 नगर, (6) सागर संभाग –15 नगर, (7) रीवा संभाग – 18 नगर, (8) जबलपुर संभाग –12 नगर (9) भोपाल संभाग – 16 नगर

4 राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की कुल 645 योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया। इसके अन्तर्गत लगभग 410 घटकों का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें मुख्यतः 165 वाणिज्यिक, 32 बस स्टैण्ड, 73 रोड़ उन्नयन एवं तिराहा, 140 घटक जिसमें सामुदायिक भवन, नाला, सब्जी मंडी, आवासीय योजनाये सम्मिलित है के विकास कार्य शामिल है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध विगत वर्षो में उपयोगिता अधिक रही।

5 आई.डी.एस.एम.टी. योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के तहत संस्थाओं द्वारा निर्मित व्यवसायिक घटकों की योजनाओं से आवर्ती कोष में 81 नगरों द्वारा राशि रू.10204.46 लाख सूचित किया है। उक्त आवर्ती कोष के विरूद्ध 48 संस्थाओं द्वारा लगभग 185 घटकों की योजनाएँ तैयार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये जिसमें से अभी तक 38 नगरों के 129 घटकों के कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन एवं मानचित्र लगभग राशि रू.4622.01 लाख स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मे 44 घटकों की राशि रू.1639.25 लाख के कार्य संबंधित संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये। 38 नगरों के कार्य प्रेषित करने के उपरांत शेष आवर्ती कोष की राशि रू. 5582.45 लाख के विरूद्ध प्राप्त योजना प्रस्ताव/योजना प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य किये जाने का कार्य प्रचलन में है।

6 संस्थान द्वारा 13 नगरों के 19 योजना घटकों का आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत निर्मित आवर्ती कोष से एवं अन्य कार्यो के वास्तुविदीय कार्य किया गया, जिसमें से कटंगी, जावद, मैहर, खिरकिया, सीधी, मनासा, तराना, बिरसिंहपुर, खिलचीपुर, जीरापुर, माचलपुर, छापीहेड़ा, सिहोरा नगरों की लगभग रू. 526.58 लाख की योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया।

(ब) सूचना प्रौद्योगिकी

1. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में भू–उपयोग जानकारी एवं विकास अनुज्ञा ऑनलाइन जारी करने हेतु Web based Application (अल्पास) को मेप आई.टी. के माध्यम से (जी.आई.एस. आधारित उन्नयन) कराया जा रहा है।
2. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान कार्यालय में निर्मित आधुनिक GIS स्टूडियों का संचालन भी किया जा रहा है।

अन्य

1 संचालनालय में गठित प्राधिकरण सेल में भी राज्य नगर नियोजन संस्थान के अधिकारी द्वारा कार्य संपादित कर सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐंः– निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐंः– निरंक

(ई) अन्य योजनाऐं /राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–

1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा कई नगरीय निकायों की स्व वित्तीय योजनाऐं भी तैयार की जा रही है ।

2. आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूॅजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

3. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा क्रमशः नेपानगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, ओबेदुल्लागंज नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य संस्थान को सौपा गया है।

4. अमृत योजनान्तर्गत इंटर्नस का चयन कर विभिन्न नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों में संलग्नीकरण किया गया।

5. राज्य शासन द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौपे गये है :–

   I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करने हेतु सहयोग प्रदान करना। वर्ष 2020–21 में संस्थान द्वारा प्राप्त 08 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये हैं।

   II सिंहस्थ उज्जैन, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये गए, जिसके देयक रू. 72.76 लाख की मांग शासन से की जाकर राशि प्राप्त किए जाने के प्रयास जारी हैं।

   III नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना तैयार करना।

   IV अमृत योजनान्तर्गत नागदा, कटनी, सागर, रीवा नगर की जी.आई.एस. बेस्ड विकास योजना तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें नागदा नगर की विकास योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं कटनी, सागर एवं रीवा नगरों की विकास योजना का कार्य प्रचलन में है।

   V विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें/प्रशिक्षण आयोजित करना

भाग–चार

1. सामान्य प्रशासनिक विषय

1.1	विभागीय पदोन्नति	–	निरंक
1.2	नियुक्ति	–	05 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रोजेक्ट बेस अनुबंध आधार पर अस्थाई रूप से की गई।
1.3	विभागीय जॉच	–	निरंक
1.4	न्यायालयीन प्रकरण	–	निरंक

1.5 01.04.2020 से 31.12.2020 तक म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर/जानकारी संस्थान द्वारा समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

भाग–पांच

1. अभिनव योजना

1.1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के लिये आधुनिक जी.आई.एस. स्टूडियों का निर्माण किया गया है।

1.2. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अमृत योजनान्तर्गत नागदा, कटनी, सागर, रीवा नगर की जी. आई.एस. बेस्ड विकास योजना तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से –

- नागदा नगर की विकास योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- कटनी नगर की ग्राउंड टुथिंग एवं वेटिंग का कार्य पूर्ण डाटा NRSC (National Remote Sensing Center, Hyderabad) को प्रेषित किया गया था। सत्यापन पश्चात् NRSC से डाटा पुनः प्राप्त हो चुका है एवं थीमेटिक मेप बनाने का कार्य प्रचलन में है।
- रीवा एवं सागर नगरों की ग्राउंड टुथिंग एवं वेटिंग का कार्य पूर्ण कर डाटा NRSC को भेजा गया है।

1.3. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किये जाने का कार्य मेप आई.टी. के माध्यम से किया जा रहा है।

भाग–छः

1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

1.1 राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में एक पॉच सदस्यीय ''आंतरिक परिवाद समिति'' का गठन किया गया है। राज्य नगर नियोजन संस्थान में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है ।

1.2 राज्य नगर नियोजन संस्थान में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। वर्तमान में संस्थान में कुल 08 महिलाकर्मी कार्यरत हैं।

भाग–सात

1. सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

1.1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी आवर्ती कोष योजनान्तर्गत नगरों के योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।

1.2. नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

1.3. अमृत योजनान्तर्गत नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा सौपे गये विकास योजनाओं के कार्य।

1.4. आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करना।

1.5. प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन तथा मार्गदर्शन प्रदान करना।

1.6. विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अन्तर्गत प्राधिकरणों को ई.डब्लू.एस. / एल.आई.जी आवास बनाने के लिये रियायती दर पर शासकीय भूमि के संबंध में योजनाओं का परीक्षण करना तथा योजनाओं का ले–आउट तैयार करना।

1.7. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23–क (1) (ख) के अन्तर्गत उपान्तरण प्रकरणों का परीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं समिति की अनुशंसाएँ नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

1.8. शासन के आदेश कमांक एफ–3 / 75 / 2013 / 32 दिनांक 05.07.2013 के परिपालन में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–16 के अधीन भोपाल के वृद्धित निवेश क्षेत्र में विकास अनुज्ञा अंतर्गत परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं समिति की अनुशंसाएँ नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

1.9. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराना।

1.10. विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजित करना।

1.11. अमृत योजनान्तर्गत नागदा, कटनी, सागर एवं रीवा नगरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना का कार्य अंतिम चरण में

1.12. 10 नगरों की विकास योजनाओं के कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से संपादित कराया जाना।

1.13. अमृत योजनान्तर्गत इंटर्न पॉलिसी, 2018 अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को आवश्यक जानकारी प्रदान कर इंटर्न को चयन करने हेतु अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना एवं इंटर्नस् के साक्षात्कार उपरांत नग्रानि जिला कार्यालय में संलग्नीकरण संबंधी कार्यवाही।

1.14. विकास प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं को सलाहकार के माध्यम से करवाने हेतु प्रतियोगिता प्रपत्र, अनुबंध एवं सलाहकार नियुक्त करने बाबत् आवश्यक कार्यवाही।

1.15. नगर विकास योजनाओं का कार्य सलाहकार के माध्यम से करवाना जैसे – जबलपुर, उज्जैन, सतना।

1.16. महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्य सलाहकार के माध्यम से करवाना।

1.17. म.प्र. रियल स्टेट नीति, 2019 के सौपे गये कार्यो को करना।

2. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने / परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाती है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति / चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य ''इन हाउस'' किये जाये।

3. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

———0———

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

अध्यक्ष	**श्री भूपेन्द्र सिंह माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग**	**02.12.2020**	**निरंतर**
प्रमुख सचिव	**श्री नीतेश व्यास, भा.प्र.से.**	**11.05.2019**	**निरंतर**
आयुक्त	**श्री भरत यादव, भा.प्र.से.**	**25.08.2020**	**निरंतर**

आवास, मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रदेश में आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन आवंटियों को विभिन्न श्रेणी के भवन एवं विकसित भूखण्ड, आवश्यक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयासरत हैं। मंडल द्वारा अपनी स्थापना वर्ष से 31 दिसम्बर 2020 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये 184962 आवास गृह तथा 162681 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कुल 347643 किया गया है। प्रदेश में शासकीय परिसरों के समुचित भूमि उपयोग हेतु शासन द्वारा जारी पुर्नघनत्वीकरण नीति अंतर्गत योजनाएं मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हैं।

भाग – एक

1. अधीनस्थ कार्यालय

कार्यालय का नाम	सिविल कार्यालय	विद्युत कार्यालय
उपायुक्त	08	01
संभागीय	29	04
उप संभागीय	67	08

2. दृष्टिकोण

2.1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर आवासीय भवनों का निर्माण।

ब आधुनिक एवं कम लागत के निर्माण की तकनीकी से निर्माण करना।

स परियोजना को समय पर एवं बिना मूल्य वृध्दि के पूर्ण करना।

द योजनाओं में आवंटियों को विक्रित भवनों बाबत् पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना।

ई उचित स्थान।

एफ विश्वसनीयता।

2.2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण :

अ शासन की विभिन्न नीतियों एवं वचनों को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं में प्रतिपूर्ति करना।

ब मण्डल द्वारा विभिन्न विभागों के आवासीय, अधोसंरचना, निक्षेप कार्य एवं अन्य कार्यो को समय अनुसार एवं निपूर्णता के साथ क्रियान्वयन करना।

स आवास निर्माण के क्षेत्र में निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा प्रदान निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।

द शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना।

ई शासन की प्रचलित नीति, निर्देशों अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

एफ. मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

2.3 मंडल का अपने कर्मियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उत्कृष्ट कार्य करने के अवसर प्रदान करना।

ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं अनुसार कार्य करना।

स. अच्छे कार्य करने वाले कमियों को चिन्हित कर पुरूस्कृत करना।

द. निर्माण कार्य में विलंब हेतु मैदानी अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण तथा समय पूर्व कार्य करने पर अधिकारियों व ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने की नीति लागू की गई।

3 मण्डल के उद्देश्य

3.1 वर्षवार कार्य योजना निर्धारित कर क्रियान्वित करना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।

3.2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटो एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी अनुसार अच्छी गुणवत्ता के किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।

3.3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवास एवं भूखण्डों का निर्माण।

3.4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।

3.5 शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

3.6 वेब साइट के माध्यम से मण्डल कर्मियों,आवंटियों एवं जन समुदाय हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना।

3.7 योजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप एवं समय सीमा अनुसार पूर्ण करना।

3.8 आवंटियों एवं निक्षेपकर्ता विभाग को जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ सेवा प्रदान करना।

3.9 कोविड–19 के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो का पालन मण्डल द्वारा समस्त योजनाओं में किया जा रहा है।

3.10 निर्माण कार्यों के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय निर्माण सामग्री एवं सुविधाओ के उपयोग को बढ़ावा देना।

4. स्थापना

4.1 म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल का गठन कर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत मण्डल कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण, आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं।

5. निर्माण एवं विकास कार्य

5.1 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से 31 दिसम्बर 2020 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 184962 आवास गृह तथा 162681 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कुल 347643 किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, ऑडिटोरियम, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी किया गया है।

5.2 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निक्षेप कार्य अंतर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु धर्मस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, कौशल प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

भाग – दो

1. मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी

1.1 भवन निर्माण

(निर्मित भवनों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (31दिसम्बर 2020 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	1150	1810	2311	725	159
2.	एल.आई.जी.	454	1349	2154	454	193
3.	एम.आई.जी.	339	352	259	20	56
4.	एच.आई.जी.	290	494	508	432	158
	कुल	**2233**	**4005**	**5232**	**1631**	**566**

1.2 भूखण्ड विकास

(विकसित भूखण्डों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (31दिसम्बर 2020 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	722	479	825	313	57
2.	एल.आई.जी.	430	246	267	145	21
3.	एम.आई.जी.	224	267	223	186	109
4.	एच.आई.जी.	112	488	116	104	31
	कुल	**1488**	**1480**	**1431**	**748**	**218**

1.3 मण्डल की वित्तीय स्थिति

(राशि रू.करोड़)

क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (31दिसम्बर 2020 तक)
1.	टर्न ओवर	855.80	880.00	756.84	607.39	458.44

1.4 स्वीकृत परियोजनाएँ

(राशि रू.लाख)

क्र.	विवरण		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (31दिसम्बर 2020 तक)
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	योजना	113672.91	13153.77	46162.72	10872.11	16808.00
		संख्या	(35)	(07)	(17)	(07)	(10)

1.5 प्रशासनिक व्यय

(राशि रू.लाख)

क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (31दिसम्बर 2020 तक)
1.	प्रशाासनिक व्यय	8066.98	5951.00	8667.00	7160.28	6370.00

1.6 कम्प्यूटराईजेशन का कार्य

1.6.1. मंडल के ऑनलाईन साफ्टवेयर का NICSI, New Delhi से पंजीकृत संस्था से Security Audit कराया गया।

1.6.2. एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ई–पंजीयन एवं ई–ऑफर की सुविधा प्रारंभ की गई दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक मण्डल को पंजीयन राशि निम्नानुसार प्राप्त हुईः–

ई–पंजीयन	–	राशि	–	6,65,05,412.00
ई–ऑफर	–	राशि	–	32,43,16,700.00
दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2020 तक		कुल प्राप्ति	– रू.	365,04,91,330.00

1.6.3. मंडल में संपत्ति प्रबंधन शाखा के समस्त कार्यो को ऑनलाईन करने की प्रक्रिया विकसित की गई है।

1.6.4. मंडल के 3955 आवंटियों को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया गया है।

1.6.5. ऑनलाईन साफ्टवेयर एवं ऑनलाईन पंजीयन/ऑफर हेतु लगभग 44,566 SMS प्रेषित किये गए हैं।

1.6.6. मंडल शत प्रतिशत वृत्त कार्यालयों को विडियो कांफ्रेंसिंग में जोड़ दिया गया है।

1.6.7. विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी वृत्त एवं संभाग की मासिक समीक्षा बैठक हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित की गई।

1.6.8. मंडल के सभी उप संभागों को भी कम्प्यूटर, प्रिटर एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई।

1.6.9. म.प्र. शासन की ई–मेल नीति को मंडल द्वारा अंगीकार कर मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयो में पदस्थ अधिकारियों हेतु ई–मेल आईडी बनाकर सतत उपयोग किया जा रहा है।

1.6.10. mphousing.in की वेबसाइट नई डिजाईन के साथ लाइव कर दी गयी है।

1.6.11. मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यो, मासिक बैठकों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी Facebook, Twitter. Instagram आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रदर्शित की जा रही।

1.6.12. मंडल द्वारा अपने हितग्राहियों को ऑलनाइन राशि जमा कराने या अपने भवन के लेखा संधारण को देखने की सुविधा आवंटी पोर्टल पर दी गयी है।

1.6.13. स्ववित्तीय / एकमुश्त / भाडाक्रय योजना के सभी लेजर आवंटी पोर्टल पर एवं ई.आर.पी. में अपडेट कर दी गई है।

1.6.14. आवंटियों को दिए जाने वाले सूचना पत्र की ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

1.6.15. मंडल में निर्माण कार्यों के तकनीकी स्वीकृति एवं एन.आई.टी. का कार्य शत प्रतिशत ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

1.6.16. मंडल में समस्त निर्माण कार्यों की ऑनलाईन एम.बी. संधारण का कार्य एवं देयक का कार्य शतप्रतिशत ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

1.6.17. मंडल में समस्त कार्यालयों के रोकड़ एवं लेखा कार्य शत प्रतिशत ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है।

1.7 मंडल की वेबसाईट पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई गई है :–

1.7.1. मंडल की समस्त ऑनलाईन योजनायें ई–पंजीयन / ई–ऑफर – Live

1.7.2. मंडल द्वारा जारी की गई निविदाओं की जानकारी – Live

1.7.3. मंडल की त्रैमासिक पत्रिका "आशियाना"

1.7.4. मंडल की वर्तमान आवासीय एवं अटल आश्रय योजनायें

1.7.5. मंडल की प्रस्तावित योजनायें

1.7.6. मंडल की पूर्ण हो चुकी योजनायें

1.7.7. मंडल को प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र

2. माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण (31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में)

क्र.	न्यायालयों का नाम	प्रकरणों की संख्या
1.	मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली	17
2.	मान. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली	07
3.	मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर (अवमानना प्रकरण)	736
4.	राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल	296
5.	मान. मध्यप्रदेश मध्यस्थम् अधिकरण विंध्याचल भवन भोपाल	08
6.	मान. राजस्व मण्डल	04
7.	मान. रेरा	66
8.	रेरा अपीले	16
9.	मान. जिला न्यायालय	139
10	मान. जिला उपभोक्ता फोरम	62
11	हरित अभिकरण एन.जी.टी.	0
12	मान. औद्योगिक न्यायालय	01
13	मान. श्रम न्यायालय	16
	कुल योग	**1368**

3. मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास लंबित प्रकरणों का विवरण (31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

3.1 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा प्राप्त शिकायते।

क्रमांक	विभाग अंतर्गत लंबित प्रकरण	प्रकरणों की संख्या
1.	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा प्राप्त शिकायतें	19
2.	लोकायुक्त कार्यालय म.प्र.भोपाल से प्राप्त शिकायतों प्राप्त शिकायतों के विचाराधीन प्रकरणों की सूची जिसमें पेशी दी जाती है	18
3.	सी.बी.आई. से संबंधित प्रकरणों की संख्या	0
4.	सक्रिय जॉच के लंबित प्रकरणों की सूची	46
	कुल प्रकरण	**83**
क्रमांक	**निराकृत प्रकरणों की सूची**	**प्रकरणों की संख्या**
1.	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायतें।	13
2.	लोकायुक्त कार्यालय म.प्र.भोपाल से प्राप्त शिकायतें।	01
3.	सी.बी. आई. से संबंधित प्रकरणों की संख्या	00
4.	सक्रिय / शिकायती जांच के लम्बित प्रकरणो की सूची	29
	कुल निराकृत प्रकरण	**43**

4. कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

4.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

4.2 इस सेल की स्थापना दिनांक से 31 दिसम्बर 2020 तक 5034 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, जिसमें से 4607 (91.51 प्रतिशत) शिकायतों का निराकरण किया गया है।

5. मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

5.1 दिनांक 01 मई 2017 से प्रदेश में भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण म.प्र. (रेरा) अस्तित्व में आया। प्राधिकरण के नियमानुसार समस्त निर्माणाधीन, प्रस्तावित रियल स्टेट योजनाओं का नियमानुसार पंजीयन रेरा में कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंध में मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए समय–सीमा में 89 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत कराया एवं दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक 02 पंजीकृत कराया गया। योजनाओं में रेरा नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है ।

5.2 मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने, निक्षेप कार्य की दृष्टि से वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर 2020 तक विभिन्न आवासीय योजना लागत रू. 16808.00 लाख स्वीकृत की गई हैं।

6. महत्वपूर्ण आवासीय योजनाओं वर्ष 2020—21 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी (31 दिसम्बर, 2020) तक

क्र.	कार्य का नाम	निविदा राशि (लाख में)
(i)	**वृत्त— जबलपुर (निक्षेप कार्य)**	
1	खाद्य एवं औषधि विभाग के लिए प्रयोगशाला का निर्माण दुमना रोड जबलपुर ।	331.96
2	आई.टी. पार्क, फेस — 2, जबलपुर विकास कार्य।	528.50
3	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र एवं छात्रावास का निर्माण तथा ए.एन.एम. परिसर का विकास कार्य जिला बालाघाट।	706.50
	योग	**1566.96**
(ii)	**वृत्त— ग्वालियर (निक्षेप कार्य)**	
4	खाद्य एवं औषधि विभाग के लिए कार्यालय भवन एवं खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण मेहरा ग्वालियर ।	319.18
5	नए निर्माण कार्य, नवीनीकरण एवं बैरियर मुक्त कार्य और विकास कार्य भगवत सहाय कॉलेज ग्वालियर ।	277.31
6	6—एफ, 6—जी, 6—एच, (18 कर्मचारी आवास) का निर्माण कार्य अस्पताल परिसर मुरैना ।	280.77
	योग	**877.26**
(iii)	**वृत्त— इंदौर (निक्षेप कार्य)**	
7	खाद्य एवं औषधि विभाग के लिए कार्यालय भवन एवं खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण तलावली चंदा एबी रोड इंदौर ।	306.33
8	इंदरपुर में 50 शैया के शासकीय अस्पताल का निर्माण एवं उन्नयन कार्य सैंवेर जिले इंदौर ।	323.24
9	फेज —1 के तहत 100 शैया अस्पताल का निर्माण गोविन्द वल्लभ पंत जिला अस्पताल केम्पस धार रोड़ इंदौर।	1197.54
	योग	**1827.11**
(iv)	**वृत्त— सागर (अटल आश्रय योजना)**	
10	24 एल.आई.जी 19 ई.डब्ल्यू.एस. का निर्माण और विकास कार्य काशी नगर हट्टा जिला दमोह ।	271.79
	योग	**271.79**
	स्वयं वित्तीय योजना	0.00 लाख
	अटल आश्रय योजना	271.79 लाख
	निक्षेप कार्य	4271.33 लाख
	कुल	4543.12 लाख
	वृत्त स्तर एवं संभाग स्तर से स्वीकृत निविदा राशि रू.	12264.88 लाख
	महायोग	**16808.00 लाख**

7. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

7.1 प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि के उचित उपयोग तथा आवास समस्या हल करने के लिए राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना प्रारंभ की गई है।

7.2 मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्घत्वीकरण योजनाओं से प्रदेश में विकास/रोजगार/अधोसंरचना संबंधी सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

8. प्रमुखता

8.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से वृहद परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

8.2 अटल आश्रय योजनांतर्गत अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :—

शासन से कमजोर आय वर्ग एंव निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रियायती दर पर शासकीय भूमि प्राप्त कर अटल आश्रय योजना क्रियान्वित की जा रही है।

क्र.	विवरण	योजनाएं	कुल इकाइयां
1.	पूर्ण योजनाऐं	14	2649
2.	निर्माणाधीन योजनाऐं	11	3548
3.	निरस्त योजनाऐं	04	630
4.	पंजीकृत योजनाऐं	24	5450
5.	लंबित योजनाऐं	06	4345
	योग	**59**	**16622**

8.3 मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

8.4 यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

8.5 मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख—रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2020—21 में 31 दिसम्बर 2020 तक 01 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं।

9. शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेन्सी

9.1 मण्डल के द्वारा अपनी परियोजनाओ के सफल क्रियान्वयन के अलावा म.प्र. शासन/केन्द्र शासन के अन्य विभागों के लिये डिपोजिट वर्क एवं कन्सलटेन्ट एजेन्सी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020—2021 मे (31दिसम्बर 2020 तक) की प्रगतिशील योजनाएं निम्नलिखित है :—

10. शासकीय विभागों हेतु निक्षेप निर्माण कार्य

10.1 निक्षेप निर्माण कार्य

क्र.	निक्षेपकर्ता विभाग	कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ में)
1.	सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग	01	3.29
2.	कौशल विकास विभाग	10	328.50
3.	जनसंपर्क विभाग	03	233.62
4.	उच्च शिक्षा विभाग	06	18.13
5.	धर्मस्व विभाग	60	44.27
6.	पशुपालन विभाग के विभिन्न जिलों के कार्य	01	3.59
7.	स्वास्थ्य विभाग	04	84.52
8.	रेशम विभाग	02	2.76
9.	महिला बाल विकास विभाग	01	8.13
10.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	01	1.79
11.	सूक्ष्म एवं लघु मध्यम इंटरप्राइजेस	04	12.66
12.	सामान्य प्रशासन विभाग	01	4.67
13.	पंचायत विभाग	02	15.04
14.	खाद्य एवं औषधि विभाग	03	14.29
15.	विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत म.प्र.के विभिन्न स्थानो पर महाविद्यालय के निर्माण कार्य	19	48.28
16.	रूसा चरण–1/2 अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न स्थानो पर महाविद्यालय के निर्माण	05	10.50
	कुल	**123**	**834.04**

10.2 पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं की स्थिति :–

क्र.	विवरण	संख्या
1	पूर्ण पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं	02
2	प्रगतिशील पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं	07
3	डी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं	07
4	पी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं	12
5	पी.पी.आर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित	02
	कुल योजनाऐं	**30**

भाग –तीन

1. बजट

1.1 मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है, मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं, निक्षेप एवं पुनर्धनत्वीकरण योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

1.1.1. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 एंव 2017–2018 विधान सभा पटल पर माह 21 सितम्बर 2020 प्रस्तुत किया गया ।

1.1.2. मण्डल गठन के पश्चात् वर्ष 2020–2021 में सर्वाधित शुद्ध लाभ रू 15.00 करोड़ संभावित है, (आयकर पश्चात्)।

1.1.3. हितग्राहियों को आवास सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 8 राष्ट्रीयकृत बैंक व 6 वित्तीय संस्थानों (माईक्रो फायनेन्स) के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।

1.1.4. एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण की प्रीमेच्युर भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान कर मण्डल ऋणमुक्त संस्थान बन गया।

1.1.5. एन.पी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात सेवा में आने मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.पी.एस. में जमा की जा रही है।

1.1.6. वित्तीय वर्ष 2020–2021 पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 अनुमानित बजट अनुमोदन हेतु संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

1.1.7. वित्तीय वर्ष 2019–2020 संचालक मण्डल से 23.12.2020 को अनुमोदन उपरांत महालेखाकार लेख परीक्षा भोपाल कि ओर अंकेक्षण हेतु भेजा गया है।

भाग – चार

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) अटल आश्रय योजना

(ब) पुनर्घनत्वीकरण योजना

(स) पी एम ए वाई (PMAY)

भाग – पांच

1. सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) 01 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 27 प्रश्न प्राप्त हुए (13 तारांकित प्रश्न, 14 अतारांकित प्रश्न, आश्वासन 00 ध्यानाकर्षण 00 अभ्यावेदन 00 राज्य सभा 00, शून्य काल सूचना 00 एवं 00 लोक सभा प्रश्न)। मण्डल द्वारा समय–सीमा में प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर 2020 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारीः–

क्र.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	02	20	59	15
2	पदोन्नति	00	00	00	00
3	नियुक्ति	00	00	00	00

(स) वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर 2020 तक विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी :–

1	दिसम्बर 2020 तक जॉच संस्थित शेष प्रकरण	29
2	दिसम्बर 2020 तक प्राप्त जॉच प्रतिवेदन	08
3	निराकृत प्रकरण (वर्ष 2020 में)	02

भाग – छः

1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

1.1 राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती नीता गुप्ता, लेखा अधिकारी(चालू प्रभार) एवं श्रीमती आरती नायक, वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मण्डल में कुल 144 महिला कर्मी है।

भाग – सात

1. पहल 2020–21 में 31 दिसम्बर 2020 तक विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु प्रयास एवं योजनाओं की भौतिक/ वित्तीय उपलब्धियॉ

- विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु ई–आफर, ई–पंजीयन के माध्यम से योजनाओं के पंजीयन/ऑफर आमंत्रित किये जा रहे है। निविदाओं का आमंत्रण ई–टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है।
- प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणीयों के भवन, भूखण्ड निर्मित किये जाते है व केन्द्र शासन व राज्य शासन के विभिन्न शासकीय एवं अर्ध–शासकीय विभागों हेतु निर्माण कार्यो का निक्षेप योजनांतर्गत निष्पादन किया जाता है।
- म.प्र.राज्य की रीयल एस्टेट पालिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तदोपरान्त शासन द्वारा माह अक्टूबर 2019 में ग्लोबल इनवेस्टर समिट में रियल एस्टेट पालिसी का विमोचन किया गया।
- विगत एक वर्ष में मण्डल द्वारा 20 आवासीय योजनाओं (लागत रू.336.00 करोड़) का निर्माण कार्य पूर्ण किए गये हैं ।
- विभिन्न शहरों में 10 मेगा आई.टी.आई. कार्य के अंतर्गत रू.56.00 करोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण किया।
- आध्यात्म विभाग के 60 निर्माण कार्य पूर्ण किये।
- मण्डल की समस्त भूमि का सत्यापन एवं रिकार्ड का संधारण किया जा रहा है।
- म.प्र. के 10 बड़े शहरों में कौशल्य विकास विभाग के 10 मेगा आई.टी.आई. (लागत रू. 300.00 करोड़) के निर्माण प्रारम्भ किये गये।
- आध्यात्म विभाग के 240 निर्माण कार्य। (लागत रू.60.00 करोड़) प्रारम्भ किये गये।
- इंदौर जिले की. महू तहसील की पुनर्धनत्वीकरण योजना का कार्य पूर्ण।
- इंदौर में आई.टी. पार्क का निर्माण पूर्ण किया।
- मण्डल की आवासीय योजनाओं के चयन हेतु प्रोजेक्ट एप्रेजल फ्रेमवर्क का निर्धारण किया गया।
- रेरा नियमों के परिपालन हेतु रेरा एप्रेजल फ्रेम वर्क का निर्धारण किया गया एवं मण्डल की संपत्ति विनियम से संबंधित नीतियों, परिपत्रों एवं गाईड लाईन में संशोधन किया गया।
- रिक्त पदों पर उपयत्रियों एवं कार्यालय सहायकों की भर्ती की गई।

- सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सर्विसबुक शतप्रतिशत आनलाईन की गई।
- सभी आवंटियों के आनलाईन लीज एवं संपत्ति खातों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
- सभी वित्तीय लेन देन आनलाईन केवल माध्यम से किये जा रहे है।
- निर्माण कार्य में विलंब हेतु मैदानी अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण तथा समय पूर्व कार्य करने पर अधिकारियों व ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने की नीति का प्रारूप तैयार किया गया।
- मण्डल मुख्यालय भोपाल में गुणवत्ता नियंत्रण एवं नवीन तकनीक प्रकोष्ठ का गठन को किया गया।
- मण्डल के निर्माण कार्यो के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु चैक लिस्ट को जारी की गई।
- क्वॉलिटी मॉनिटरिंग एवं क्वॉलिटी एश्योरेन्स विषय पर मण्डल के समस्त मैदानी अधिकारियों हेतु कार्य शाला का आयेाजन किया गया।
- माह दिसम्बर 2019 में मण्डल के अधिकारियों द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जयपुर में PIR Dry wall technology से निर्मित भवनों का अवलोकन किया गया।
- मण्डल के निर्माण कार्यो की मॉनीटरिंग हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट की नवीन तकनीक एवं गेंट चार्ट तथा आनलाईन पी.एम.आई.एस. का उपयोग करते हुए रियल टाईम बेसिस पर मॉनीटरिंग की जा रही है।
- मण्डल की संपत्तियों के प्रसार, तथा मण्डल आवंटियों की सुविधा एवं शिकायतों की जानकारी एवं त्वरित निराकरण हेतु ट्वीटर तथा फेसबुक का उपयोग प्रारंभ किया गया।
- 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक आनलाईन ई–आफर/ई–पंजीयन के माध्यम से मण्डल को पंजीयन राशि के रूप में राशि रू. 45.72 करोड़ प्राप्ति हुई।
- दरों का युक्ति युक्त करण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय।
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय।
- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness परीक्षण अनिवार्य।
- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय।
- मण्डल तकनीकी कर्मियों को QUALITY CONTROL पर प्रशिक्षण।
- मार्केटिंग सैल की स्थापना।
- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।
- उपयंत्री/सहायक यंत्रीयों को लेखा परीक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।

2. संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

3. स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तांतरण

वर्ष 2020–2021 में (31 दिसम्बर 2020 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)
1.	2.224 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य धौलियाखेडा हटा जिला दमोह	19.44
	योग	19.44

———

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

1. विभागीय संरचना

1.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 1 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एक मात्र कार्यालय/मुख्यालय विंध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 4 तृतीय श्रेणी एवं 1 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष दर पर एक कम्प्यूटर टाईपिस्ट एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मी अस्थाई रूप से म. प्र. गृह निर्माण मण्डल के से. नि. संपदा अधिकारी/लेखाधिकारी को दिनांक 01.07.2020 से एक मुश्त मासिक दर पर नियुक्त किया गया है।

2. अधीनस्थ कार्यालय

2.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एक मात्र कार्यालय/मुख्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

3. निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं

3.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अंतर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

4. निगम के दायित्व

4.1 राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहाकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

5. निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी

5.1 निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

5.2 वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

5.3 सामान्य रूप से म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकारणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

6. सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

6.1 निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यकी

क्रमांक	उपलब्धियॉ	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,868

भाग–दो

1. **बजट**

1.1 निगम एक स्ववित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

1.2 मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित वर्ष 2004–2005 से कोइ्र राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 200.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ण हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

1.3 निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं के खातों का अकेंक्षण का कार्य कराया जा रहा है।

भाग–तीन

1. **राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**

(अ) **राज्य योजनाएं**

(अ).1 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तक ग्वालियर, मंदसौर, नीमच (भू–खेण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी, रीवा, दमोह एवं रतलाम, झाबुआ में लगभग रू. 2,915.20 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 250 भ–खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के168 आवासयी भू–खण्डों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

(अ).2 महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसंबर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रू. 870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रू.377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :– निरंक।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :– निरंक।

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :– निरंक।

भाग—चार

1. सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) जॉच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों की जानकारी निरंक है। नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के संबंध में जानकारी भाग — एक विभागीय संरचना शीर्षक अनुसार है।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के संबंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 01 आतारांकित प्रश्न प्राप्त हुआ। निगम द्वारा प्राप्त प्रश्न के संबंध में वॉछित जानकारी समय—सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधानसभा से संबंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2020—21 के अंतर्गत माह जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक इस निगम के 03 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज है। पूर्व के न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है। एवं सभी प्रकरणों में निगम की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त है।

भाग—पाँच

1. अभिनव योजना निरंक।

भाग—छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग—सात

1. महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी

1.1 निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अंतर्गत अपनी स्थाना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू—खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015—16 में 21 आवासीय भू—खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू—खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग—आठ

1. सारांश

1.1 इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह, रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू—खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में संबंधित संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रू.1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू—खण्डों के विकास का कार्य प्रारंभ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयुक्त	01	01	00
2	अपर आयुक्त	03	03	00
3	अपर आयुक्त / अपर संचालक (फायर)	01	00	01
4	अपर संचालक	03	01	02
5	संयुक्त संचालक	06	06	00
6	उप संचालक	08	04	04
7	उप संचालक (फायर)	01	00	01
8	सहायक संचालक	11	09	02
9	सहायक संचालक (फायर)	02	00	02
10	लेखा अधिकारी	01	01	00
11	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	02	02
12	अधीक्षक	09	05	04
13	वरिष्ठ निज सहायक	02	00	02
14	निज सहायक	04	01	03
15	शीघ्रलेखक वर्ग–3	09	06	03
16	सहायक वर्ग–1	19	13	06
17	सहायक वर्ग–1 (फायर)	01	00	01
18	लेखापाल	07	00	07
19	लेखापाल चुंगी	01	00	01
20	सहायक वर्ग–2	27	18	09
21	सहायक वर्ग–2 (फायर)	01	00	01
22	सहायक वर्ग–3	52	24	28
23	सहायक वर्ग–3 (फायर)	02	02	00
24	वाहन चालक	12	04	08
25	भृत्य	16	19	03 अधिक
26	भृत्य (फायर–आउटसोर्स)	06	00	06
27	**योग**	**209**	**119**	–

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक	10	08	02
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	06	04
4.	सहायक संचालक (फायर)	04	00	04
5.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	02	00	02
6.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	05	00	05
7.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	10	04	06
8.	अधीक्षक	10	04	06
9.	सहायक वर्ग–1	20	13	07
10.	लेखापाल	10	01	09
11.	सहायक वर्ग–2	30	15	15
12	सहायक वर्ग–3	40	18	22
13	सहायक वर्ग–3 (फायर)	04	02	02
14	वाहन चालक	13	01	12
15	भृत्य	20	10	10
	योग	**191**	**82**	**109**

————————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमुख अभियंता	01	00	01
2.	मुख्य अभियंता	01	00	00
3.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधि.	03	02	01
4.	अधीक्षण यंत्री	03	03	00
5.	कार्यपालन यंत्री	06	06	00
6.	सहायक यंत्री	06	06	00
7.	प्रशासकीय अधिकारी	01	00	01
8.	सहायक संचालक	01	01	00
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	01	00
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	02	00
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	03	10
12.	उपयंत्री	00	20	–
13.	सहायक अधीक्षक	01	00	01
14.	सहायक वर्ग–1	10	00	10
15.	लेखापाल	01	00	01
16.	सहायक वर्ग–2	10	03	07
17.	मानचित्रकार	02	01	01
18.	स्टेनोटायपिस्ट	01	00	01
19.	अंग्रेजी टायपिस्ट	01	00	01
20.	अनुरेखक (ट्रेसर)	01	00	01
21.	सहायक वर्ग–3	20	19	01
22.	व्यवस्थापक	01	00	01
23.	इलेक्ट्रीशियन	01	00	01
24.	वाहन चालक	17	14	03
25.	भृत्य	11	11	00
26.	चेनेमेन	01	00	01
27.	माली	03	01	02
28.	चौकीदार	08	07	01
29.	मॉडलर	02	00	02
30.	पंप अटेडेंट	01	01	00
31.	वाटर मेन	01	00	01
32.	सफाई कर्मचारी	06	01	05
	योग	**137**	**102**	

————————

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधि.	2	0	2
4.	सहायक यंत्री	20	9	11
5.	मानचित्रकार	7	1	6
6.	ट्रेसर	7	0	7
7.	सहायक वर्ग–2	2	2	0
8.	सहायक वर्ग–3	14	14	0
9.	वाहन चालक	7	3	4
10.	भृत्य	14	14	0
	चौकीदार	8	4	4
	योग	**111**	57	**54**

————————

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं।
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं।
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	0	38	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं।
4	आशुलिपिक / स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति / संविदा से भरे जाते हैं।
5	वाहन चालक	25	15	10	प्रतिनियुक्ति / संविदा से भरे जाते हैं।
6	भृत्य	88	20	68	संविदा से भरे जाते हैं।
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	संविदा से भरे जाते हैं।
	योग	**348**	**124**	**224**	

नोट :– रिक्त पदों पर जिला मुख्यालय की नगरीय निकायों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं।

———————

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभागवार/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार 5. मोहना*
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	6. करेरा 7. कोलारस 8. खनियाधाना 9. पिछोर 10. बदरवास 11. नरवर 12. बैराड 13. रन्नौद* 14. पोहरी* 15. मगरौनी*
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	16. चाचौडाबीनागंज 17. आरोन 18. कुंभराज 19. मधुसूदनगढ़*
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	20. मुंगावली 21. ईसागढ 22. शाढौरा 23. पिपरई*
	5. दतिया		7. दतिया	24. भांण्डेर 25. इंदरगढ़ 26. सेवड़ा 27. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद 10. लहार	28. मेहगांव 29. गोरमी 30. अकोड़ा 31. मिहोना 32. आलमपुर 33. दबोह 34. मौ 35. फूफकलां 36. रौन* 37. मालनपुर*
	7. मुरैना	2. मुरैना	11. अम्बाह 12. पोरसा 13. सबलगढ़	38. जौरा 39. कैलारस 40. झुण्डपुरा 41. बामौर
	8. श्योपुरकलां		14. श्योपुरकलां	42. विजयपुर 43. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		44. देपालपुर

				45. सांवेर 46. गौतमपुरा 47. बेटमा 48. राऊ 49. हातौद 50. मानपुर 51. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17. पीथमपुर	52. राजगढ़ 53. कुक्षी 54. बदनावर 55. धरमपुरी 56. धामनौद 57. सरदारपुर 58. मांडव 59. डही 60. गंधवानी*
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	61. अंजड़ 62. राजपुर 63. खेतिया 64. पानसेमल 65. पलसूद 66. ठीकरी* 67. निवाली बुजुर्ग*
	12. झाबुआ		20. झाबुआ	68. थांदला 69. पेटलावद 70. रानापुर 71. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		21. अलीराजपुर	72. जोबट 73. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24. बड़वाह	74. मण्डलेश्वर 75. कसरावद 76. भीकनगांव 77. महेश्वर 78. करही एवं पांडल्याखुर्द 79. बिस्टान*
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		80. मूंदी 81. पंधाना 82. ओंकारेश्वर 83. छनेरा
	16.बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	25. नेपानगर	84. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	85. तराना 86. उन्हेल 87. माकडोन
	18 नीमच		30. नीमच	88. मनासा 89. रामपुरा 90. जावद 91. जीरन 92. रतनगढ़

				93. सिंगोली 94. डिकेन 95. कुकड़ेश्वर 96. नयागांव 97. अठाना 98. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		99. कन्नौद 100. सोनकच्छ 101. खातेगांव 102. हाटपिपल्या 103. बागली 104. भौरासा 105. करनावद 106. काटाफोड़ 107. लोहारदा 108. सतवास 109. टोंकखुर्द 110. पिपलरंवा 111. नेमावर
	20. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर	112. मक्सी 113. अकोदिया 114. पोलायकलां 115. पानखेडी
	21. आगर		33. आगर	116. नलखेड़ा 117. बडौद 118. कानड़ 119. सुसनेर 120. सोयतकलां 121. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	34. जावरा	122. ताल 123. सैलाना 124. आलोट 125. नामली 126. बड़ावदा 127. पिपलौदा 128. धामनौद
	23. मंदसौर		35. मंदसौर	129. शामगढ़ 130. सीतामऊ 131. पिपल्यामंडी 132. नारायणगढ़ 133. मल्हारगढ़ 134. भानपुरा 135. नगरी 136. गरोठ 137. सुवासरा 138. भैंसोदा मंडी*
5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	36. बैरसिया	
	25. सीहोर		37. सीहोर 38. आष्टा	139. इछावर 140. बुदनी 141. जावर

				142. नसरूल्लागंज 143. रेहटी 144. कोठरी 145. शाहगंज
	26. रायसेन		39. रायसेन 40. बेगमगंज 41. मण्डीदीप	146. औबेदुल्लागंज 147. सुल्तानपुर 148. बरेली 149. बाड़ी 150. सांची 151. उदयपुरा 152. सिलवानी 153. गैरतगंज
	27. विदिशा		42. विदिशा 43. गंज बासौदा 44. सिरोंज	154. कुरवाई 155. लटेरी 156. शमशाबाद
	28. राजगढ़		45. राजगढ 46. नरसिंहगढ़ 47. सारंगपुर 48. ब्यावरा	157. जीरापुर 158. कुरावर 159. खिलचीपुर 160. तलेन 161. बोड़ा 162. खुजनेर 163. पचोर 164. सुठालिया 165. माचलपुर 166. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		49. होशंगाबाद 50. इटारसी 51. सिवनीमालवा 52. पिपरिया	167. बाबई 168. सोहागपुर 169. बनखेड़ी
	30. हरदा		53. हरदा	170. टिमरनी 171. खिड़किया 172. सिराली*
	31. बैतूल		54. बैतूल 55. आमला 56. सारणी 57. मुलताई	173. बैतूल बाजार 174. भैंसदेही 175. आठनेर 176. चिचोली 177. घोड़ाडोंगरी* 178. शाहपुर*
7. सागर	32. सागर	10. सागर	58. बीना इटावा 59. खुरई 60. गढ़ाकोटा 61. रेहली 62. देवरी 63. मकरोनिया बुजुर्ग	179. राहतगढ़ 180. बंडा 181. शाहपुर 182. शाहगढ 183. मालथौन* 184. बांदरी* 185. बिलहरा* 186. सुरखी*
	33. दमोह		64. दमोह 65. हटा	187. तेंदुखेड़ा 188. पथरिया 189. हिन्डोरिया 190. पटेरा

	34. पन्ना		66. पन्ना	191. अमानगंज 192. देवेन्द्र नगर 193. अजयगढ़ 194. ककरहटी 195. पवई 196. गुन्नौर*
	35. छतरपुर		67. छतरपुर 68. नौगांव 69. महाराजपुर	197. धुवारा 198. सटई 199. बारीगढ़ 200. बिजावर 201. गढ़ीमल्हरा 202. बक्सवाहा 203. चंदला 204. बड़ामल्हरा 205. हरपालपुर 206. लवकुशनगर 207. खजुराहो 208. राजनगर
	36. टीकमगढ़		70. टीकमगढ़	209. निवाड़ी 210. पृथ्वीपुर 211. बल्देवगढ़ 212. खरगापुर 213. पलेरा 214. जैरोनखालसा 215. तरीचरकलां 216. जतारा 217. लिधोराखास 218. बड़ागांव 219. कारी 220. ओरछा
8. रीवा	37. रीवा	11. रीवा		221. बैंकुंठपुर 222. मउगंज 223. त्योंथर 224. हनुमना 225. चाकघाट 226. गोविन्दगढ 227. नईगढ़ी 228. सिरमौर 229. मनगवां 230. सेमरिया 231. गुढ़ 232. डभौरा*
	38. सीधी		71. सीधी	233. चुरहट 234. रामपुरनेकिन 235. मझोली
	39. सिंगरौली	12.सिंगरौली		
	40. सतना	13. सतना	72. मैहर	236. नागौद 237. बिरसिंहपुर 238. जैतवारा 239. कोटर

				240. कोठी 241. अमरपाटन 242. रामपुर–बघेलान 243. उचेहरा 244. चित्रकूट 245. न्यू रामनगर
9. शहडोल	41. शहडोल		73. शहडोल 74. धनपुरी	246. बुढ़ार 247. ब्यौहारी 248. जयसिंहनगर 249. खाण्ड 250. बकहो*
	42.अनूपपुर		75. अनूपपुर 76. कोतमा 77. पसान 78. बिजूरी	251. जैतहरी 252. अमरकंटक 253. वनगवां (राजनगर)* 254. डोला* 255. डूमरकछार*
	43. उमरिया		79. उमरिया 80. पाली	256. चंदिया 257. नौरोजाबाद 258. मानपुर*
	44. डिण्डोरी			259. डिण्डोरी 260. शाहपुरा
10. जबलपुर	45. जबलपुर	14. जबलपुर	81. पनागर 82. सिहोरा	261. बरेला 262. भेड़ाघाट 263. शाहपुरा 264. पाटन 265. मझौली 266. कटंगी
	46. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		267. बरही 268. कैमोर 269. विजयराधवगढ़
	47. बालाघाट		83. बालाघाट 84. वारासिवनी 85. मलाजखंड	270. कटंगी 271. बैहर 272. लांजी
	48 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	86. पांढुर्ना 87. जुन्नारदेव जामई) 88. डोगर परासिया 89. दमुआ 90. चौरई 91. अमरवाड़ा 92. सौंसर	273. हर्रई 274. लोधीखेड़ा 275. न्यूटन चिखली 276. चांदामेटा बुटारिया 277. मोहगांव 278. बडकुही 279. पिपलानारायणवार 280. बिछुआ 281. चांद
	49 नरसिंहपुर		93. नरसिंहपुर 94. गाडरवारा 95. करेली 96. गोटेगांव	282. तेंदूखेड़ा 283. सालीचौका 284. सांईखेडा 285. चीचली
	50. सिवनी		97. सिवनी	286. लखनादौन 287. बरघाट 288. छपारा*

				289. केवलारी*
	51. मंडला		98. मंडला 99. नैनपुर	290. बम्हनीबंजर 291. निवास 292. बिछिया

नगर पालिक निगम	**16**
नगरपालिका परिषद	**99**
नगर परिषद	**292**
योग	**407**

*नव गठित नगर परिषद्, जिन्हें अधिसूचित किया गया है तथा जो सामान्य निर्वाचन उपरान्त अस्तित्व में आयेगी।

परिशिष्ट–तीन (एक)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट

(राशि करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2020–21 के लिये वित्त विभाग संसूचित बजट प्रावधान	वर्ष 2020–21 के लिये वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन	31.12. 2020 तक कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व योजनाएं							
1	22	2217	1237	Housing For All (PMAY)	700.00	560.00	392.00
2	22	2217	1238	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)	909.00	727.20	509.00
3	22	2217	1263	दीनदयाल अन्त्योंदय योजना (NULM)	98.75	79.00	55.30
4	22	2217	7706	स्वच्छ भारत अभियान (SBM)	100.00	98.73	94.75
5	22	2217	0179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	1.26	1.00	0.71
6	22	2217	0681	रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (RERA)	1.14	0.91	0.65
7	22	2217	0852	दीनदयाल रसोई घर योजना	4.00	10.54	7.38
8	22	2215	1249	प्रदेश की जलमल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	7.00	5.60	3.64
9	64	2217	1425	पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय	570.00	570.00	393.86
10	22	2217	1947	रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास, अपीलीय अधिकरण (REAT)	0.80	0.64	0.40
11	22	2217	2045	शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान	2.00	1.60	0.08
12	22	2217	2288	नगरीय क्षेत्रों में तीर्थ यात्री कर को समाप्त कर क्षतिपूर्ति अनुदान	0.91	0.73	0.51
13	22	2217	5373	युवा स्वाभिमान योजना	0.50	0.26	0.00
14	22	2217	6022	Mass Rapid Transport system survey (MRTS)	1.00	0.80	0.00
15	22	2217	6047	प्रशिक्षण	2.50	0.20	0.00
16	22	2217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण (GEF)	1.00	0.80	0.59
17	22	2217	7029	शहरी विकास संस्थान	7.00	0.20	0.00
18	22/ 64	2217	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम	10.00	8.00	5.56
19	22	2217	7056	Fire Services	9.97	7.98	5.88
20	64	2217	7144	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन	5.20	4.16	2.52
21	64	2217	7145	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	6.73	5.38	1.91
22	64	2217	7146	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना	17.75	14.20	8.11
23	22	2217	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन	2.64	2.11	0.34
24	22	2217	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	10.23	8.18	5.70

25	22/ 64	2217	7357	झीलों और तालाबों का संरक्षण एवं संवर्द्धन	8.90	7.12	4.89
26	22	2217	7704	Dedicated Urban Transport Fund (DUTF)	2.82	2.26	1.58
27	64	2217	7707	मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना	6.50	5.20	3.64
28	64	2217	7709	मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आर्थिक कल्याण योजना	4.00	3.20	2.24
29	22	2217	9488	मुख्यमत्री अधोसंरचना विकास (फेस–3)	10.00	8.00	1.00
30	22	2217	9638	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	990.00	792.00	330.00
31	22	2217	9640	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान	598.00	478.40	149.50
32	22	2217	9836	नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	10.00	4.80	0.00
33	22	2217	5394	ग्वारीघाट से केवल ब्रिज निर्माण	0.00	0.00	0.00
34	22	2217	5468	पेयजल का अधिकार	0.00	0.00	0.00
35	22	2217	5475	नर्मदा रिवर फ्रंट विकास	0.00	0.00	0.00
36	22	2217	9652	ई–व्हीकल पॉलिसी	0.00	0.00	0.00
				योग – राजस्व	**4099.60**	**3409.20**	**1981.74**
पूंजीगत योजनाएं							
37	22	4217	7705	Smart City	500.00	500.00	280.00
38	22	6217	9492	उज्जैन स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार से प्रदाय ऋण/सहायता	32.00	25.60	8.00
39	22/ 64	4217 / 6217	1262	M.P.Urban Sanitation and Environment Sector Project (MPUSEP)-EAP (KFW)	100.00	80.00	0.00
40	22	4217/ 6217	2043	Metro Rail	200.00	160.00	112.00
41	22	4217	5374	M.P. Urban Services Improvement Programme (ADB) Phase-II	100.00	110.00	81.20
42	22	4217	7029	शहरी विकास संस्थान	12.00	9.60	6.72
43	22/ 64	4217 / 6217	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	417.00	333.60	222.03
44	22	4217 / 6217	7711	M.P.Urban Development Project (MPUDP) (World Bank)	165.00	132.00	24.80
45	22	4217	5372	Super Mini Smart City	0.00	0.00	0.00
46	22/ 64	6217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण (GEF)	0.00	0.00	0.00
				योग – पूंजीगत	**1526.00**	**1350.80**	**734.75**
				महायोग	**5625.60**	**4760.00**	**2716.49**

———

परिशिष्ट–तीन (दो)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट

(राशि करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2020–21 के लिये वित्त विभाग संसूचित बजट प्रावधान	वर्ष 2020–21 के लिये वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन	31.12.2020 तक कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व योजनाएं							
1	64	2217	1239	14वां वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	330.02	330.00	330.00
2	22	3604	1240	दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान	0.20	0.16	0.10
3	64	2217	1325	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	602.00	481.60	0.00
4	64	3604	2181	नगरीय जल प्रदाय योजनाएं (जल संधारण)	20.31	20.31	11.37
5	64	3604	4035	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	150.00	120.00	84.00
6	64	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	0.40	0.32	0.00
7	64	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	0.40	0.32	0.00
8	22	2217	6148	नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय (वेतन भत्ते)	15.98	15.96	10.92
9	64	3604	6602	स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	2.11	1.69	0.00
10	64	3604	7333	निर्यातकर – क्षतिपूर्ति	89.00	71.20	49.84
11	64	3604	7398	नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना	2.36	1.89	1.30
12	64	3604	7668	**स्थानीय निकायों को मूलभत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)**	300.80	240.64	168.45
13	64	3604	8017	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	150.96	120.77	84.54
14	64	3604	8018	प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण (चुंगी क्षतिपूर्ति)	2640.00	2640.00	2140.00
15	64	3604	8860	**वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण**	600.00	480.00	336.00
16	64	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	60.99	48.79	34.15
17	22	2217	5831	म.प्र.सफाई कामगार आयोग का गठन (वेतन भत्ते)	0.00	0.00	0.00
18	22	2217	6148-53-000	स्थानीय निकाय संचालनालय	0.00	0.00	0.00
19	22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान	0.00	0.00	0.00
20	22	2217	7300	स्व.सुशील चंद्र वर्मा परस्कार योजना	0.00	0.00	0.00

21	22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	0.00	0.00	0.00
22	22	2217	7406	म.प्र. राज्य केश शिल्पी मण्डल	0.00	0.00	0.00
23	22	2217	7407	म.प्र.राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल	0.00	0.00	0.00
24	22	2217	7408	म.प्र.राज्य सिलाई कला मण्डल	0.00	0.00	0.00
				योग – राजस्व	**4965.53**	**4573.65**	**3250.67**
पूंजीगत योजनाएं							
25	64	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज	8.00	6.40	0.00
				योग – पूंजीगत	**8.00**	**6.40**	**0.00**
				महायोग	**4973.53**	**4580.05**	**3250.67**

———————

परिशिष्ट–चार

अमृत मिशन अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
1	इन्दौर	जल प्रदाय पैकेज–1 (इन्दौर)	280.00	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2 (इन्दौर)	287.17	कार्य प्रगतिरत है, 71 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–3 (इन्दौर)	26.55	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–1 (इन्दौर)	183.60	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (इन्दौर)	89.75	कार्य प्रगतिरत है, 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		विश्राम बाग पार्क	4.63	कार्य पूर्ण
		स्नेह नगर पार्क	1.48	कार्य पूर्ण
		सिरपुर पार्क	14.39	कार्य प्रगतिरत है, 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		पंचवटी पार्क	0.72	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	40.00	कार्य प्रगतिरत है, 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	भोपाल	जल प्रदाय (भोपाल एक्सटेंडेड ऐरिया)	284.12	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (कोलार–ग्रेविटी मेन)	145.18	कार्य प्रगतिरत है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (भौंरी)	19.34	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (भोज वेटलैड)	145.00	कार्य प्रगतिरत है, 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज (शाहपुरा झील)	135.00	कार्य प्रगतिरत है, 45.03 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज (कोलार)	162.00	कार्य प्रगतिरत है, 65.08 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ए	8.05	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ब	7.92	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 2	10.79	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 3	13.71	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 4	8.17	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 6	11.99	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ए	10.38	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ब	4.90	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 8	8.85	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 9	6.01	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 10	5.75	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 11	10.84	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 12	7.11	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 13	8.46	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 14	7.45	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		शाहपुरा पार्क	1.98	कार्य प्रगति पर है, 05 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		नीलम पार्क		कार्य प्रगति पर है, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		यातायात पार्क	2.66	कार्य पूर्ण
		अशोक विहार	0.26	कार्य पूर्ण
		चांदबड़ पार्क	0.48	कार्य पूर्ण
		एकतापुरी पार्क	0.73	कार्य पूर्ण
		ओल्ड सुभाष नगर पार्क	0.51	कार्य प्रगति पर है, 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अमराई पार्क	1.04	कार्य पूर्ण
		गुलाब उद्यान	1.53	कार्य पूर्ण
		राजीव नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस–1	1.64	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस–2		
		नेहरू नगर फेस–3		
		एम.पी. नगर जोन –1 पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		यादगार–ए–शाहजानी पार्क	1.03	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	51.91	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	जबलपुर	जल प्रदाय	143.34	कार्य प्रगति पर है, 94.62 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज	362.31	कार्य प्रगति पर है, 34.34 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श नगर पार्क	0.71	कार्य प्रगति पर है, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		त्रिपुरी गार्डन	2.99	कार्य प्रगति पर है, 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		शिव नगर पार्क	0.88	कार्य प्रगति पर है, 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		चिल्ड्रन पार्क (संग्राम नगर)	0.73	कार्य प्रगति पर है, 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आधारताल गार्डन	2.00	कार्य प्रगति पर है, 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		चन्द्रशेखर आजाद पार्क	1.14	कार्य प्रगति पर है, 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		रानीताल गार्डन	4.76	कार्य प्रगति पर है, 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	30.00	कार्य प्रगति पर है, 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	ग्वालियर	जल प्रदाय पैकेज–1 (रॉ वाटर)	42.30	कार्य प्रगति पर है, 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2	278.35	कार्य प्रगति पर है, 73.12 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–1 (मुरार)	207.97	कार्य प्रगति पर है, 91.57 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–2 (लश्कर)	173.33	कार्य प्रगति पर है, 90.77 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	19.14	कार्य प्रगति पर है, 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		डी.डी. नगर पार्क	1.09	कार्य पूर्ण
		काटी घाटी पार्क	1.69	कार्य पूर्ण
		नवनी पार्क, कॉचमिल रोड	3.50	कार्य पूर्ण
		लाल टिपारा पार्क	2.79	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	25.00	कार्य प्रगति पर है, 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	उज्जैन	सीवरेज	402.01	कार्य प्रगति पर है, 47 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		क्षिप्रा रिवर फ्रंट पार्क	3.82	कार्य पूर्ण
		चकोर पार्क	3.67	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	15.00	कार्य पूर्ण
6	देवास	जल प्रदाय	22.51	कार्य प्रगति पर है, 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		कुश्ती ऐरीना पार्क	0.41	कार्य पूर्ण
		मयूर पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		मल्हार पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	10.17	कार्य प्रगति पर है, 28 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	मुरैना	सीवरेज	138.16	कार्य प्रगति पर है, 90.03 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क (वार्ड 41)	1.01	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क (वार्ड 45)	0.69	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	30
8	सतना	जल प्रदाय	41.50	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	191.56	कार्य प्रगति पर है, 18.03 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	14.47	कार्य पूर्ण
		एयरपोर्ट पार्क (वार्ड नं. 22)	4.46	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
9	सागर	सीवरेज	299.10	कार्य प्रगति पर है, 56.11 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		लेकसाईड पार्क (फेस–1)	1.63	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		लेकसाईड पार्क (फेस–2)	0.85	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		लेकसाईड पार्क (फेस–3)	0.72	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		काकागंज पार्क, सागर	0.65	कार्य पूर्ण
10	रतलाम	सीवरेज	122.76	कार्य प्रगति पर है, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	12.09	कार्य प्रगति पर है, 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अमृत सागर पार्क	1.21	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		कालिका माता मंदिर पार्क	1.24	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण
11	रीवा	जल प्रदाय	35.58	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	201.85	कार्य प्रगति पर है, 22.02 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	18.55	कार्य प्रगति पर है, 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर पार्क (वार्ड नं. 14)	0.27	कार्य पूर्ण
		चीराहुला पार्क	0.56	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण
12	कटनी	जल प्रदाय	24.01	कार्य प्रगति पर है, 85.1 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज	96.50	कार्य प्रगति पर है, 22.4 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		पार्क निअर कलेक्टरेट	0.56	कार्य पूर्ण
		मंगल नगर पार्क	0.71	कार्य पूर्ण
		सुरम्य पार्क	0.70	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
13	सिंगरौली	जल प्रदाय	41.51	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	110.46	कार्य प्रगति पर है, 21.23 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		मुरवानी पार्क	2.13	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
14	छिंदवाड़ा	जल प्रदाय	73.56	कार्य प्रगति पर है, 89.82 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		धरम टेकरी पार्क	1.63	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.00	कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	बुरहानपुर	सीवरेज	92.80	कार्य प्रगति पर है, 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		रेणुका माता मंदिर	0.72	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट–1)	0.31	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट–2)	0.65	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.00	–
16	खण्डवा	जल प्रदाय पैकेज–1	12.60	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–3	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–4	11.53	कार्य पूर्ण
		सॉई राम नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		बेगम पार्क	0.23	कार्य पूर्ण
		किशोर नगर पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		एलआईजी कॉलोनी पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		पंजाब कॉलोनी पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.00	कार्य प्रगति पर है, 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण
17	भिण्ड	सीवरेज	84.16	कार्य प्रगति पर है, 80.26 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क	0.73	कार्य प्रगति पर है, 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		वाटर वर्क्स पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण
18	गुना	जल प्रदाय	29.88	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	81.09	कार्य प्रगति पर है, 40.43 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		शास्त्री पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		त्रिमूर्ति पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		सिंहवासा पार्क	0.50	कार्य पूर्ण
		टेकरी धानम पार्क	0.44	कार्य पूर्ण
		गोपालपुर पार्क	0.83	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण
19	शिवपुरी	जल प्रदाय	19.70	कार्य प्रगति पर है, 66.76 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		तात्याटोपे स्मारक पार्क	0.51	कार्य पूर्ण
		जवाहर कॉलोनी पार्क	0.25	कार्य प्रगति पर है, 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण
20	विदिशा	सीवरेज	97.44	कार्य पूर्ण
		अहमदपुर पार्क	1.99	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
21	छतरपुर	जल प्रदाय	45.44	कार्य प्रगति पर है, 78.31 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		संध्या विहार पार्क	1.29	कार्य पूर्ण
22	मंदसौर	जल प्रदाय	55.26	कार्य प्रगति पर है, 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टॉर्म वाटर ड्रेन	5.7	कार्य प्रगति पर है, 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		दादा दादी पार्क (रीवा देवास रोड)	1.21	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क	0.21	कार्य प्रगति पर है, 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क (फेस–2)	0.32	कार्य प्रगति पर है, 16 प्रतिशत कार्य पूर्ण
23	खरगौन	सीवरेज	61.50	कार्य पूर्ण
		स्नेह वाटिका पार्क	0.88	कार्य पूर्ण
		आजाद नगर पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
24	नीमच	जल प्रदाय	16.18	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	62.03	कार्य पूर्ण
		सिटी पार्क	1.10	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्कीम न0 34 पार्क	0.32	कार्य पूर्ण
		जवाहर नगर पार्क	0.56	कार्य पूर्ण
25	पीथमपुर	जल प्रदाय	84.7	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–1	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–2	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–3	0.15	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क–4	0.13	कार्य पूर्ण
26	होशंगाबाद	जल प्रदाय	43.34	कार्य पूर्ण
		स्टॉर्म वाटर ड्रेन	9.97	कार्य प्रगति पर है, 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		ऑफिस क्लब पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क	0.34	कार्य पूर्ण
27	सीहोर	जल प्रदाय	12.83	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	66.2	कार्य पूर्ण
		बड़ियाखेड़ी (बड़ा मंदिर)	1.02	कार्य पूर्ण
		रिवर फ्रंट बड़ियाखेड़ी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण
28	बैतूल	जल प्रदाय	24.99	कार्य पूर्ण
		बैतूल बैराज	6.93	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन सरोवर पार्क	0.64	कार्य पूर्ण
29	दतिया	जल प्रदाय	18.66	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	53.45	कार्य प्रगति पर है, 67.64 प्रतिशत कार्य पूर्ण
30	नागदा	जल प्रदाय	12.84	कार्य पूर्ण
		पार्क निअर बायपास रोड	1.23	कार्य प्रगति पर है, 7 प्रतिशत कार्य पूर्ण
31	डबरा	जल प्रदाय	44.62	कार्य प्रगति पर है, 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		हरिपुरा पार्क (वार्ड नं. 19)	0.36	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		पालिका पार्क	0.43	कार्य प्रगति पर है, 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण
32	ओंकारेश्वर	पी–1 बस स्टेंड पार्क (पार्ट–2)	0.20	कार्य पूर्ण
		पी–1 बस स्टेंड पार्क (पार्ट–1)	0.26	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	3.67	कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
33	दमोह	स्टार्म वॉटर ड्रेन	7.73	कार्य प्रगति पर है, 78 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		राम जानकी पार्क	0.79	कार्य पूर्ण
		7 कॉलोनी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण
		गजानन टेकरी पार्क	0.65	कार्य प्रगति पर है, 5 प्रतिशत कार्य पूर्ण

- जलप्रदाय योजना की 23 शहरो हेतु कुल 32 परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 20 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं तथा 12 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- सीवरेज परियोजना की 20 शहरो हेतु कुल 24 परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 5 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 19 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- हरित क्षेत्र मे पार्क विकास की 32 शहरो हेतु कुल 92 परियोजनाएं स्वीकृत है जिनमे से 30 शहरों की 70 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 22 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- स्टार्म वॉटर एवं ड्रेन की 9 शहरों हेतु कुल 23 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 16 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, शेष 7 परियोजनाएं प्रगतिरत है।
- लोक परिवहन की 18 शहरों हेतु 28 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 24 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।

————————

परिशिष्ट–पांच

यूआईडीएसएसएमटी अन्तर्गत नगरीय निकायों में स्वीकृत योजनाओं की सूची

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	स.क्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	नगरपालिका विदिशा	1	जल प्रदाय योजना	1557.52
		2	सीवरेज	218.00
		3	सड़क	73.58
2	नगरपालिका इटारसी	4	जल प्रदाय योजना	1467.83
		5	सड़क	844.57
3	नगर पंचायत बुदनी	6	जल प्रदाय योजना	194.60
		7	सड़क	504.20
		8	सीवरेज	195.05
4	नगर पंचायत रेहटी	9	जल प्रदाय योजना	276.48
		10	सड़क	211.60
		11	सीवरेज	143.48
5	नगरपालिका सीहोर	12	जल प्रदाय योजना	1454.52
6	नगरपालिका ब्यावरा	13	जल प्रदाय योजना	709.47
7	नगरपालिका सिरोंज	14	जल प्रदाय योजना	622.95
8	नगरपालिका आष्टा	15	जल प्रदाय योजना	980.40
		16	सड़क	541.28
9	नगर पंचायत नसरूल्लागंज	17	जल प्रदाय योजना	488.96
		18	सड़क	365.39
10	नगरपालिका होशंगाबाद	19	जल प्रदाय योजना	1615.26
11	नगरपालिका हरदा	20	जल प्रदाय योजना	1735.00
12	नगरपालिका गढ़ाकोटा	21	जल प्रदाय योजना	596.36
		22	सडक	143.76
13	नगरपालिका दमोह	23	जल प्रदाय योजना	874.20
		24	जीर्ण–शीर्ण पाईप लाईन को बदलना	62.35
		25	गजानन वितरण नलिका का उन्नयन	130.17
		26	तालाब संरक्षण	53.00
		27	सडक	418.97
		28	जलप्रदाय फेस– 2	3715.95
14	नगरपालिका टीकमगढ़	29	जल प्रदाय योजना	983.18
15	नगरपालिका रहली	30	जल प्रदाय योजना	602.35
16	नगरपालिका छतरपुर	31	जल प्रदाय योजना	1593.80
17	नगरपालिका पन्ना	32	जल प्रदाय योजना	1808.37
18	नगर निगम सागर	33	सीवरेज	7661.55
19	नगरपालिका जावरा	34	जल प्रदाय योजना	663.00

20	नगर निगम रतलाम	35	जल प्रदाय योजना	3265.10
21	नगर निगम देवास	36	जल प्रदाय योजना	5837.00
		37	जल प्रदाय योजना–2	3975.00
		38	सीवरेज	14062.53
		39	सड़क	1254.50
22	नगरपालिका शुजालपुर	40	जल प्रदाय योजना	1745.32
		41	सड़क	499.00
23	नगरपालिका मंदसौर	42	जलस्त्रोत उन्नयन	1552.45
		43	जलप्रदाय	5636.37
24	नगरपालिका आगर	44	जल प्रदाय योजना	1005.80
25	नगरपालिका शाजापुर	45	जल प्रदाय योजना	996.00
26	नगर निगम खण्डवा	46	जल प्रदाय योजना	10672.30
27	नगरपालिका सनावद	47	जल प्रदाय योजना	729.68
28	नगरपालिका मलाजखंड	48	जल प्रदाय योजना	525.42
		49	सड़क एवं नाली	829.43
		50	नाला निर्माण	27.60
29	नगर निगम कटनी	51	जल प्रदाय योजना	4080.95
		52	सड़क	4567.00
30	नगरपालिका डबरा	53	जल प्रदाय योजना	1441.84
		54	जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
31	नगर निगम ग्वालियर	55	सीवरेज,	6650.00
32	नगरपालिका शिवपुरी	56	जल प्रदाय योजना	5964.66
		57	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	649.76
33	नगर निगम रीवा	58	जल प्रदाय योजना	1427.87
34	न.पा.पार्ढुना	59	जल प्रदाय योजना	4611.62
		60	सड़क फेस– 2	2063.75
		61	सड़क	2054.76
35	न.पा. छिन्दवाड़ा	62	जल प्रदाय योजना	5732.87
		63	सड़क	5352.70
		64	सड़क एवं नाली फेस– 2	2736.76
		65	आर.यू.बी.	1245.82
		66	तालाब संरक्षण	382.87
36	न.पा. डोंगर परासिया	67	जल प्रदाय योजना	3013.33
		68	सड़क	1098.03
		69	सड़क एवं नाली	1206.37
37	न.पा. सौसर	70	जल प्रदाय योजना	1930.22
		71	सड़क	2332.73
38	नगर पंचायत पिपलानारायणवार	72	जल प्रदाय योजना	81.20
		73	जल प्रदाय योजना फेस–2	773.34
		74	सड़क	408.09

39	न.पा. चौरई	75	जल प्रदाय योजना	886.38
		76	सड़क	189.17
40	न.पा. पिपरिया	77	जल प्रदाय योजना	2408.11
		78	सड़क	385.46
41	न.पा. बैतुल	79	जल प्रदाय योजना	3262.07
42	न.पा.मुलताई	80	जल प्रदाय योजना	1929.60
		81	सड़क	723.34
43	नगर परिषद् खुरई	82	जल प्रदाय योजना	3662.82
		83	सड़क	457.60
44	न.पा.बीना	84	जल प्रदाय योजना	3875.50
45	न.पा.सीधी	85	जल प्रदाय योजना	2118.55
46	न.पं.खिरकिया	86	जल प्रदाय योजना	1225.70
47	न.पा.महिदपुर	87	जल प्रदाय योजना	1683.75
48	न.प.जुन्नारदेव	88	सड़क	345.96
		89	जलप्रदाय	2432.07
49	न.पा. अमरवाड़ा	90	जलप्रदाय	1609.30
		91	सड़क	424.16
		92	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	128.80
50	नगर निगम सतना	93	जलप्रदाय	8087.57
51	नगर पालिका सबलगढ़	94	सड़क	459.10
		95	ड्रेनेज	980.94
52	न.पा. करेली	96	सड़क	444.47
		97	जलप्रदाय	3550.77
53	न.पा. आमला	98	सड़क	477.66
54	न. पा. दमुआ	99	सड़क	652.52
		100	सड़क एवं नाली	611.30
		101	जलप्रदाय	1479.19
55	न.पा. मनावर	102	सड़क	475.15
		103	जलप्रदाय	1125.60
56	न.पा. वारासिवनी	104	जलप्रदाय	2232.00
		105	सड़क	810.96
57	न.पा. अनूपपुर	106	जलप्रदाय	1521.22
58	न.पा. बेगमगंज	107	जलप्रदाय	1392.22
59	नगर पंचायत चुर्हट	108	सड़क	232.10
60	नगर पंचायत हर्रई	109	सड़क	177.27
		110	जलप्रदाय	873.87
		111	सड़क एवं नाली	324.93
61	नगर पंचायत चाँदामेटा	112	सड़क	321.30
		113	जलप्रदाय	1432.20
62	नगर पंचायत चित्रकुट	114	जलप्रदाय	1319.68

63	नगर पंचायत बरकुही	115	जलप्रदाय	1211.82
		116	सड़क	476.42
64	नगर पंचायत शमशाहबाद	117	जलप्रदाय	882.47
65	नगर पंचायत बैकुंठपुर	118	जलप्रदाय	732.75
66	नगर पंचायत तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर)	119	जलप्रदाय	1028.64
67	नगर पंचायत शाहगंज	120	जलप्रदाय	436.45
		121	सड़क	477.96
68	नगर पंचायत शामगढ़	122	जलप्रदाय	2374.00
69	नगर पंचायत हिन्डोरिया	123	जलप्रदाय	1138.34
70	नगर पंचायत आठनेर	124	सड़क	217.90
		125	जलप्रदाय	1309.00
71	नगर पालिका गुना	126	जलप्रदाय	7140.42
72	नगर पालिका राजगढ़	127	जलप्रदाय	1907.76
73	नगर परिषद् राजपुर	128	सड़क	489.00
74	नगर परिषद् मण्डलेश्वर	129	जलप्रदाय	799.29
		130	सड़क	659.08
75	नगर पालिका सिवनी	131	जलप्रदाय	4735.80
76	नगर परिषद् जीरन	132	जलप्रदाय	549.92
77	नगर परिषद् मल्हारगढ़	133	जलप्रदाय	548.92
78	नगर परिषद् पिपल्यामण्डी	134	जलप्रदाय	968.72
		135	सड़क	487.50
79	नगर परिषद् रामपुरा	136	जलप्रदाय	1956.37
80	नगर परिषद् सुवासरा	137	जलप्रदाय	1764.30
81	नगर परिषद् भेड़ाघाट	138	सड़क	603.40
82	नगर परिषद् सिंगौली	139	सड़क	264.71
83	नगर परिषद् लोधीखेड़ा	140	सड़क	417.33
		141	जलप्रदाय	611.76
84	नगर परिषद् सोनकच्छ	142	सड़क	499.00
85	नगर परिषद् मोहगांव	143	सड़क	462.18
		144	जलप्रदाय	848.87
86	नगर परिषद् पिपलरवां	145	सड़क	364.70
		146	जलप्रदाय	964.22
87	नगर परिषद् न्यूटन चिखली	147	सड़क	604.25
		148	सड़क एवं नाली	163.30
		149	जलप्रदाय	1055.90
88	नगर परिषद् चंदेरी	150	सड़क	614.85
89	नगर परिषद् मुंगावली	151	जलप्रदाय	1070.40
		152	सड़क	550.00
90	नगर परिषद् कोलारस	153	सड़क	1234.03
91	नगर परिषद् पृथ्वीपुर	154	सड़क	504.80

92	नगर पालिका पोरसा	155	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	236.47
		156	जलप्रदाय	959.25
93	नगर निगम सिंगरौली	157	जलप्रदाय	7795.24
94	नगर पालिका कोलार	158	जलप्रदाय	5210.42
95	नगर पालिका बड़वाह	159	जलप्रदाय	1704.96
96	नगर पालिका मण्डला	160	सड़क एवं नाली	133.22
97	नगर पालिका चाचौड़ा–बीनागंज	161	सड़क एवं नाली	134.27
98	नगर परिषद् ईसागढ़	162	सड़क	629.40
99	नगर परिषद् चिचौली	163	सड़क	200.00
100	नगर पालिका देवरी	164	जलप्रदाय	2301.68
101	नगर पालिका बालाघाट	165	जलप्रदाय	4283.00
102	नगर पालिका कोतमा	166	जलप्रदाय	1799.58
103	नगर पालिका नीमच	167	जलस्त्रोत उन्नयन	1545.98
104	नगर परिषद् लांजी	168	सड़क	815.88
		169	जलप्रदाय	1825.00
105	नगर परिषद् लखनादौन	170	सड़क	519.37
106	नगर परिषद् बैहर	171	सड़क	405.61
107	नगर परिषद् सतवास	172	जलप्रदाय	1397.40
108	नगर परिषद् बाड़ी	173	जलप्रदाय	785.60
109	नगर परिषद् सिरमौर	174	जलप्रदाय	980.00
110	नगर परिषद् भैंसदेही	175	सड़क	483.00
111	नगर परिषद् पाटन	176	सड़क	329.60
112	नगर परिषद् डही	177	जलप्रदाय	931.80
113	नगर परिषद् बल्देवगढ़	178	जलप्रदाय	1264.80
114	नगर परिषद् शाहपुरा	179	जलप्रदाय	1368.66
कुल योग				**284936.37**

———

परिशिष्ट–छः

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत स्वीकृत योजनाओं की सूची

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011	योजना की स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	20668	898.25
2	नगर परिषद् बदनावर	20917	952.31
3	नगर परिषद् मुंदी	12889	578.92
4	नगर परिषद् पंधाना	13694	998.00
5	नगर परिषद् भीकनगांव	16217	760.93
6	नगर परिषद् बाबई	16741	951.62
7	नगर परिषद् खिलचीपुर	18928	999.36
8	नगर परिषद् गुढ़	14608	793.00
9	नगर परिषद् ताल	14913	777.01
10	नगर परिषद् टोंकखुर्द	7979	484.15
11	नगर परिषद् करनावद	11266	950.22
12	नगर परिषद् डिण्डोरी	21323	843.00
13	नगर पालिका धार	93917	2174.54
14	नगर परिषद् कुक्षी	28331	1846.08
15	नगर पालिका बड़वानी	55504	1990.05
16	नगर पालिका नीमच	128561	3367.75
17	नगर पालिका मण्डला	55133	2471.17
18	नगर पालिका गंजबासौदा	78289	4216.00
19	नगर पालिका रायसेन	44162	3317.60
20	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2262.95
21	नगर परिषद् नौरोजाबाद	21883	1581.00
22	नगर परिषद् उन्हेल	14774	1116.00
23	नगर पालिका अशोकनगर	81828	1326.71
24	नगर परिषद् खनियाधाना	15877	566.00
25	नगर परिषद् नामली	9774	595.41
26	नगर पालिका शहडोल	86681	3614.19
27	नगर परिषद् तरीचरकलां	7674	1493.03
28	नगर परिषद् निवाडी	23724	2103.40
29	नगर पालिका, नरसिंहपुर	59966	3217.95
30	नगर परिषद् सांवेर	16150	851.28
31	नगर परिषद् ओरछा	11511	578.23
32	नगर परिषद् सिंगौली	9523	891.42

33	नगर परिषद् बड़ौनी	10309	456.36
34	नगर पालिका पीथमपुर	126200	2766.99
35	नगर पालिका सिवनीमालवा	30100	2286.19
36	नगर पालिका बैरसिया	30951	1745.98
37	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	22845	1343.63
38	नगर पालिका सारंगपुर	37435	1353.08
39	नगर परिषद् त्यौंथर	17039	1046.86
40	नगर परिषद् हनुमना	16771	1035.34
41	नगर परिषद् पाली	22324	1169.33
42	नगर परिषद् पथरिया	21026	2228.20
43	नगर पालिका नौगांव	40580	2780.67
44	नगर पालिका पलेरा	17493	1268.93
45	नगर परिषद् खाचरौद	34191	1628.63
46	नगर परिषद् जावद	17129	1108.26
47	नगर पालिका सबलगढ़	40333	2120.03
48	नगर पालिका अम्बाह	47177	2721.45
49	नगर परिषद् सरदारपुर	7293	405.49
50	नगर परिषद् चाकघाट	10678	453.36
51	नगर परिषद् सेमरिया	13446	808.48
52	नगर परिषद् शाहगढ़	16300	895.45
53	नगर परिषद् बड़ावदा	8700	691.55
54	नगर परिषद् तराना	24908	799.20
55	नगर परिषद् रतनगढ़	7994	563.28
56	नगर परिषद् मनासा	26551	780.85
57	नगर परिषद् बड़ागांव	7217	964.40
58	नगर परिषद् बड़ौद	13834	844.38
59	नगर परिषद् नलखेड़ा	16690	480.33
60	नगर पालिक निगम, ग्वालियर	1054420	480.00
61	नगर परिषद् बैहर	16651	84.24
62	नगर परिषद् ओंकारेश्वर	10063	720.14
63	नगर परिषद् सुल्तानपुर	10268	787.35
64	नगर परिषद् चुरहट	14962	776.14
65	नगर परिषद् बण्डा	30966	547.83
66	नगर परिषद् नारायणगढ़	10191	425.90
67	नगर परिषद् धरमपुरी	16363	911.35
68	नगर परिषद् मानपुर	7621	488.88
69	नगर परिषद् हातौद	10425	648.67
70	नगर परिषद् राऊ	36055	932.77
71	नगर परिषद् पलसूद	10113	676.26

72	नगर परिषद् जीरापुर	21724	876.35
73	नगर पालिक निगम सागर	274556	133.38
74	नगर परिषद् भितरवार	19096	958.69
75	नगर परिषद्, रानापुर	12371	1955.01
76	नगर परिषद्, थांदला	15756	1368.13
77	नगर परिषद् महूँगांव	30012	1078.40
78	नगर परिषद्, अंजड़	26289	1095.01
79	नगर परिषद्, कुरवई	15487	1243.42
80	नगर पालिका मण्डीदीप	59677	1307.77
81	नगर परिषद् जयसिंहनगर	8233	1012.71
82	नगर परिषद् धनपुरी	45156	1645.82
83	नगर परिषद् गोविन्दगढ़	10547	1127.32
84	नगर परिषद, बिजुरी	32682	1686.10
85	नगर परिषद् अमानगंज	13886	2029.59
86	नगर परिषद् अकौदिया	11652	1129.64
87	नगर परिषद् सीतामऊ	14056	2146.68
88	नगर परिषद्, कन्नौद	17744	2002.64
89	नगर परिषद्, लखनादौन	17302	1592.39
90	नगर परिषद् शाहपुरा	13601	1283.15
91	नगर परिषद्, बामौर	32838	1500.41
92	नगर परिषद्, नरवर	19385	1001.62
93	नगर परिषद्, भाण्डेर	25204	1370.75
94	नगर पालिका चंदेरी	33081	1129.95
95	नगर परिषद् कुम्भराज	19707	1481.71
96	नगर परिषद्, चिचौली	9278	595.83
97	नगर परिषद् तलेन	10588	638.52
98	नगर परिषद् ब्यावरा	49093	939.79
99	नगर परिषद् छापीहेड़ा	8501	517.27
100	नगर परिषद् माचलपुर	9556	569.41
101	नगर परिषद्, बुधनी	16808	697.37
102	नगर परिषद् भानपुरा	21000	914.86
103	नगर परिषद् पिपलौदा	7302	448.25
104	नगर परिषद्, कानड़	10457	656.43
105	नगर परिषद्, भुआ बिछिया	10423	708.47
106	नगर परिषद्, चाचौड़ा बीनागंज	21785	964.12
107	नगर पालिका झाबुआ	36000	4762.66
108	नगर परिषद्, खेतिया	15739	2121.72
109	नगर पालिका विदिशा	155954	3355.91
110	नगर परिषद् सिलवानी	18623	1755.64

111	नगर परिषद्, बरेली	31579	2659.18
112	नगर परिषद्, नरसिंहगढ़	32229	2389.87
113	नगर परिषद्, सुठालिया	10596	1076.36
114	नगर परिषद्, बुढ़ार	19276	1535.93
115	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2455.11
116	नगर परिषद्, मझौली	11907	1638.57
117	नगर परिषद् उचेहरा	18377	1414.32
118	नगर पालिका उमरिया	33102	1559.51
119	नगर पालिका दमोह	139415	2634.75
120	नगर परिषद् लवकुशनगर	22075	1481.00
121	नगर निगम रतलाम	264914	2392.99
122	नगर परिषद्, सोनकच्छ	16532	1076.08
123	नगर परिषद्, सोयतकलां	14471	1250.80
124	नगर परिषद् बैहर	16651	1042.31
125	नगर परिषद्, नैनपुर	22618	2123.69
126	नगर परिषद्, बरघाट	11700	1141.63
127	नगर परिशद्, गाडरवाड़ा	47000	2559.78
128	नगर परिषद्, गोटेगांव	38090	2337.76
129	नगर परिषद्, मौ	20147	2193.93
130	नगर परिषद्, इंदरगढ़	23045	2325.55
131	नगर परिषद् जोबट	11976	1251.92
132	नगर परिषद्, गैरतगंज	18184	1756.89
133	नगर परिषद्, इछावर	14582	1015.77
134	नगर परिषद्, नागौद	22568	1879.03
135	नगर पालिका बड़नगर	36438	2090.42
136	नगर परिषद् कोलारस	19781	1780.68
137	नगर परिषद्, नईगढ़ी	10404	751.05
138	नगर पालिका, गढ़ाकोटा	32726	627.28
139	नगर पालिका, खुरई	51108	228.80
140	नगर परिषद् भौरासा (पुनरीक्षित)	12166	711.68
141	नगर पालिका सीहोर	109118	251.05
142	नगर परिषद् बिछुआ	6678	519.64
143	नगर परिषद्, मुंगावली	26192	317.95
144	नगर परिषद्, कटंगी (पुनरीक्षित)	16143	1465.06
145	नगर परिषद्, लांजी	13782	1871.38
146	नगर परिषद् अमरकंटक	8416	1256.20
147	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	13636	1304.90
148	नगर पालिका आष्टा	53184	1804.00
149	नगर परिषद् नसरूल्लागंज	23783	266.26

150	नगर पालिका, इटारसी	99300	1934.20
151	नगर परिषद्, उदयपुरा	18236	895.00
152	नगर परिषद्, ओरछा (फेज–2)	11511	353.51
153	नगर पालिका पांढुर्ना	45479	3894.13
154	नगर परिषद् खिलचीपुर (फेज– 2)	18928	364.34
155	नगर परिषद्, लांजी (बैराज)	13782	616.29
		योग–	**210093.20**

———

परिशिष्ट–सात

एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं की अद्यतन स्थिति

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	योजना लागत	मुक्त की गई राशि	भौतिक प्रगति
1	सेंधवा	2141.74	2064.00	कार्य पूर्ण।
2	डीकेन	558.20	538.00	कार्य पूर्ण।
3	पृथ्वीपुर	1450.44	1398.00	कार्य पूर्ण।
4.	दतिया	2225.90	1745.00	कार्य पूर्ण।
5	लटेरी	1052.04	825.00	कार्य पूर्ण।
6	महेश्वर	1187.00	930.00	कार्य पूर्ण।
7.	अलीराजपुर	1337.00	1337.00	कार्य पूर्ण।
8.	सीहोर बैराज	700.00	700.00	कार्य पूर्ण।
9.	गरोठ	1507.00	1507.00	कार्य पूर्ण।
10.	सैलाना	486.00	486.00	कार्य पूर्ण।
11.	ब्यौहारी	3100.00	3100.00	कार्य पूर्ण।
	योग–	**15745.32**	**14630.00**	

झील एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास' योजनाओं की सूची

(राशि रूपये लाख में)

क्र	निकाय का नाम	परियोजना लागत
1	नगर पालिक निगम भोपाल	985.00
2	नगर परिषद गौतमपुरा	119.00
3	नगर परिषद नामली	190.00
4	नगर पालिका धार	577.78
5	नगर पालिका गोहद	272.00
6	नगर पालिका आगर मालवा	202.00
7	नगरपालिका सिरोंज	266.00
8	नगरपालिका झाबुआ	529.00
9	नगर परिषद मांडव	344.00
10	नगर परिषद रानापुर	279.00
11	नगर परिषद नरवर	112.00
12	नगर परिषद जीरन	721.00
13	नगर पालिका मैहर	100.83
14	नगर पालिका मुलताई	385.73
15	नगर पालिका खुरई	169.20
16	नगर परिषद बाबई	51.09
17	नगर परिषद सैलाना	120.50
18	नगर निगम मुरैना	58.28
19	नगर पालिका इटारसी	79.06
20	नगर परिषद बडा मलहरा	110.68
21	नगर निगम जबलपुर	33.74
22	नगर पालिका टीकमगढ	153.51
23	नगर परिषद कसरावद	171.00
24	नगर परिषद धुवारा	68.11
25	नगर परिषद माकडोन	54.51
26	नगर परिषद बिजावर	39.10
27	नगर परिषद् भैंसदेही	50.00
28	नगर परिषद् बैहर	130.13
29	नगर परिषद् बक्सवाहा	43.24
30	नगर पालिका उमरिया	50.00
31	नगर पालिका मण्डला	0.00
32	नगर परिषद् डीकेन	50.00
33	नगर परिषद् बरघाट	98.20

34	नगर निगम, इन्दौर	325.62
35	नगर पालिका खुरई	534.34
36	नगर पालिका आगर	340.00
	योग–	**7813.65**

——————